FOR REFERENCE ONLY BIHAR

बिहार शिक्षा परियोजना एवं ग्राम शिक्षा समिति

(उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित)

NIEPA DC
D09894

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर

पटना – 800 023

प्रकाशक : **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद**

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर
पटना-800 023
दूरभाष : 280699, 285793
फैक्स : 281005

© **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना**

— 541.2
372
BIH-B

प्रकाशन वर्ष : **मई 1998**

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9894
Date .... 27-7-98.

प्रकाशित प्रतियाँ : **2000**

आमुख : रवि शंकर

मुद्रक :
पटना ऑफसेट प्रेस
धरहरा कोठी के पास
नया टोला, पटना-4
दूरभाष : 658873

अपनी बात

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के यत्नों-प्रयत्नों में लोकभागीदारी की भूमिका बिहार शिक्षा परियोजना के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है। अपने अनुभवों से हमने यह सीखा है कि लोकभागीदारी को लोकसशक्तीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझना होगा, ताकि समुदाय की अगुआई में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के स्वप्न-संकल्पों को रूप-परिधान दिया जा सके। बि. शि. प. 'हम' और 'वे' की बजाय केवल 'हम' में विश्वास करती आई है और बि. शि. प. कर्मियों के समुदाय के साथ निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता पर बल देती आई है; यानी हम लोक-भागीदारी को अपने काम का अभिन्न अंग मानते हैं।

इसी क्रम में सात पुराने जिलों में ग्राम शिक्षा समितियों के गठन की प्रक्रिया तथा उनकी अब तक की भूमिका को आँकने के प्रयास किए गए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बि. शि. प. को लगा कि अपने अनुभवों से ग्रा. शि. स. के गठन/पुनर्गठन एवं उसकी भूमिका का, मिल-बैठकर पुनरावलोकन करने की जरूरत है; ताकि हम विकासमान यथार्थ को समझकर आगे की रणनीति को बेहतर बना सकें।

इस संदर्भ में दो राज्यस्तरीय कार्यशालाएँ पटना में आयोजित की गईं; एक सितम्बर 97 में तथा दूसरी दिसम्बर 97 में। इन कार्यशालाओं में जिला एवं राज्य-स्तर के बि. शि. प. कर्मियों की भागीदारी तो रही ही, शिक्षकों एवं समुदाय की भी अच्छी भागीदारी रही। चुने हुए जिलों के नेहरू युवा केन्द्रों के युवा समन्वयक तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयात्री भी सहभागी रहे। इन दोनों कार्यशालाओं में पूर्व के अनुभवों की जाँचा परखा गया, भविष्य का विश्लेषण किया गया और सामूहिक सहभागिता से साझी समझ के आधार पर ग्राम शिक्षा समितियों के गठन/पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया को पुनः परिभाषित किया गया।

पहली कार्यशाला से उभरे बिंदुओं को केन्द्र में रखकर राज्यस्तरीय कार्यालय द्वारा दृष्टिकोण-पत्र तैयार किए गए, जिनपर काफी गंभीरता से चिन्तन हुआ। सोच यह भी बनी कि ग्राम शिक्षा समितियाँ मूलतः समुदाय की चिन्ता एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करनेवाली जीवन्त संरचनाएँ बनें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समुदाय के बीच प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रति सामूहिक सहभागिता से एक साझी समझ विकसित हो, जिसका वाहक समुदाय से ही उभरी हुई ये समितियाँ बन सकें।

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन/पुनर्गठन के क्रम में ही यह बात उभरी कि बि. शि. प. में हम मोबिलाइजिंग समूह या प्रेरक दल के नाम से जाने जानेवाले दलों का उपयोग, ग्राम शिक्षा समिति के गठन एवं माइक्रोप्लानिंग, दोनों में ही करते हैं। समझ बनी कि इससे प्रक्रियात्मक एवं प्रशिक्षणात्मक "कन्फ्यूजन" कभी-कभी आ जाता है। दूसरे, प्रशिक्षण की विषय-वस्तु एवं प्रशिक्षण-विधि में अक्सर विधि के, विषय-वस्तु पर हावी हो जाने के अनुभव की बात भी उभर कर आई। कार्यशाला में इस पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ, तथा समझ बनी कि ग्रा. शि. स. गठन एवं माइक्रोप्लानिंग के कार्यों की विभिन्नता के मद्देनजर, मोबिलाइजिंग समूह या प्रेरक दल के नामकरण पर भी पुनर्विचार हो। परिणामतः, तीन शब्द परिभाषित किए गए - उत्प्रेरक, अभिप्रेरक एवं प्रेरक। उत्प्रेरक वे होंगे जो ग्रा. शि. स. के गठन/पुनर्गठन का काम अपने हाथ में लेंगे, जबकि अभिप्रेरक एवं प्रेरक का संबंध माइक्रोप्लानिंग से होगा। इसी प्रकार, प्रशिक्षण में विषय-वस्तु तथा प्रशिक्षण-विधि के बीच संतुलन स्थापित करने की भी समझ विकसित हुई; ताकि प्रशिक्षण के माध्यम से अवधारणा, सूचना, कौशल, अभिवृत्ति एवं वैयक्तिक गुणों का यथानुसार समावेश प्रशिक्षणार्थियों में किया जा सके।

उपर्युक्त चिंतन-प्रक्रिया से जो कुछ भी उभरा उसे उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल में समाहित कर लिया गया है। यह पुस्तिका उपरोक्त विचारों को ही रूप-परिधान देने के क्रम में विकसित की गयी है।

दोनों कार्यशालाओं में जिन बि. शि. प. कर्मियों, शिक्षकों, स्वैच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्रों एवं पुराने जिलों की ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों ने भाग लिया, बि. शि. प. उनका आभारी है।

इस पुस्तिका में जो कुछ भी उभरा है, वह मोटे तौर पर मार्गदर्शन के रूप में है। जब हम ग्राम शिक्षा समितियों का गठन/पुनर्गठन इस मार्गदर्शन के अनुसार करना प्रारम्भ करेंगे, तो जिला-विशेष के संदर्भ में इसमें काफी कुछ सुधार/परिवर्तन किया जा सकता है।

आपसे सुधारों एवं परिवर्तनों-संबंधी सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

व्यास जी

राज्य परियोजना निदेशक

बिहार शिक्षा परियोजना एवं ग्राम शिक्षा समिति

(उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित)

विषय - सूची **पृष्ठ संख्या**

1. प्राथमिक शिक्षा एवं समुदाय **1–4**

1.1 प्रस्तावना 1

1.2 समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान 2

1.3 लोक-भागीदारी / लोक-सशक्तीकरण की रणनीति 3

2. ग्राम शिक्षा समिति **5–13**

2.1 अवधारणा 5

2.2 स्वरूप 5

2.2.1 सदस्यों का चयन 6

2.2.2 विशेष आमंत्रित सदस्य 7

2.3 गठन / पुनर्गठन की रणनीति 9

2.3.1 बि. शि. प. कर्मी / शिक्षक-आधारित अभियान 9

2.3.2 उत्प्रेरक दल-आधारित अभियान 10

2.3.3 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (माइक्रोप्लानिंग)-आधारित अभियान 11

2.4 कार्यकाल 12

2.5 कार्य-प्रणाली 12

2.6 दायित्व एवं कार्य 13

3. परिशिष्ट **14-19**

3.1 ग्राम शिक्षा समिति के गठन / पुनर्गठन हेतु सामूहिक सहभागिता सें साझी समझ की प्रक्रिया। 14

3.2 प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर चर्चा की कुछ मुख्य बातें। 17

4. उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल **20-66**

4.1 उद्देश्य 20

4.2 प्रशिक्षण-संबंधी सामान्य बातें 20

4.3 उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल की विवरणी 25

4.3.1 पूर्व संध्या 25

4.3.2 प्रथम दिवस 32

4.3.3 द्वितीय दिवस 46

4.3.4 तृतीय दिवस 56

1. प्राथमिक शिक्षा एवं समुदाय

1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित नीति 1992 के द्वारा घोषित कार्य-योजना (POA) में भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अपने राष्ट्रीय संकल्प की निम्न शब्दों में दुहराया है :

''21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को संतोषप्रद शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।''

हमारे इस राष्ट्रीय संकल्प की संप्राप्ति की दृष्टि से बिहार शिक्षा परियोजना के विगत वर्षों के अनुभव बताते हैं कि,

- विद्यालय और शिक्षा विभाग द्वारा अबतक जो सम्मिलित प्रयास हुआ है, उससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, यानी यूपीई (UPE) का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका है।
- विशेषकर समदुाय का वह अंश जिसे आम तौर से अभिवंचित वर्ग के रूप में संबोधित किया जाता है, की सक्रिय सहभागिता के बिना यूपीई (UPE) का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता।
- दूर-दूर बिखरे विद्यालयों का सफलतापूर्वक संचालन केवल सरकार नहीं कर सकती।

अतएव आवश्यक है कि लोकभागीदारी को लोकसशक्तीकरण से जोड़ते हुए, परियोजना जिलों के सभी प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया जाए। जहाँ गठन हो चुका हो; किन्तु समितियों के कामकाज से लोकभागीदारी तथा लोकसशक्तीकरण की सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पा रहा हो, वहाँ पर समितियों का सतत पुनर्गठन भी होता रहे। ग्राम शिक्षा समितियाँ उन मध्य विद्यालयों के लिए भी बनें, जहाँ प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई होती है। समितियों का गठन करते समय यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि समितियाँ सही अर्थों में समुदाय की चिंताओं/आंकाक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम हों तथा समुदाय की लगे कि समितियों के कामकाज में शिक्षा के संबंध में समुदाय के साझे स्वप्न ही व्यक्त हो रहे हैं ।

समितियों के माध्यम से विद्यालयों का सामुदायिक संस्थागत चरित्र विकसित होना आवश्यक है; ताकि विद्यालय, गाँव के **''अपने विद्यालय''** के रूप में विकसित हो सकें।

इस प्रकार, बिहार शिक्षा परियोजना की यह समझ उभरी है कि ग्राम शिक्षा समिति के गठन/पुनर्गठन हेतु ''सामूहिक समभागिता से साझी समझ'' की प्रक्रिया अपनाकर ही ग्राम शिक्षा समितियों का गठन/पुनर्गठन किया जाए।

1.2 समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के यत्नों-प्रयत्नों के संदर्भ में यदि **शिक्षक, समुदाय एवं शिक्षा-विभाग,** दूसरे शब्दों में शिक्षक, समाज एवं सरकार के अंतर्संबंधों को समझना हो, तो माना जा सकता है कि उनमें परस्पर एक त्रिकोणात्मक संबंध है, अर्थात् उनके आपस में मिलने से एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज के बीच में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने की उम्र वाले सारे बच्चे हैं; जिनके नामांकन, ठहराव और उपलब्धि-स्तर में गुणात्मक सुधार का लक्ष्य हमने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किया है :

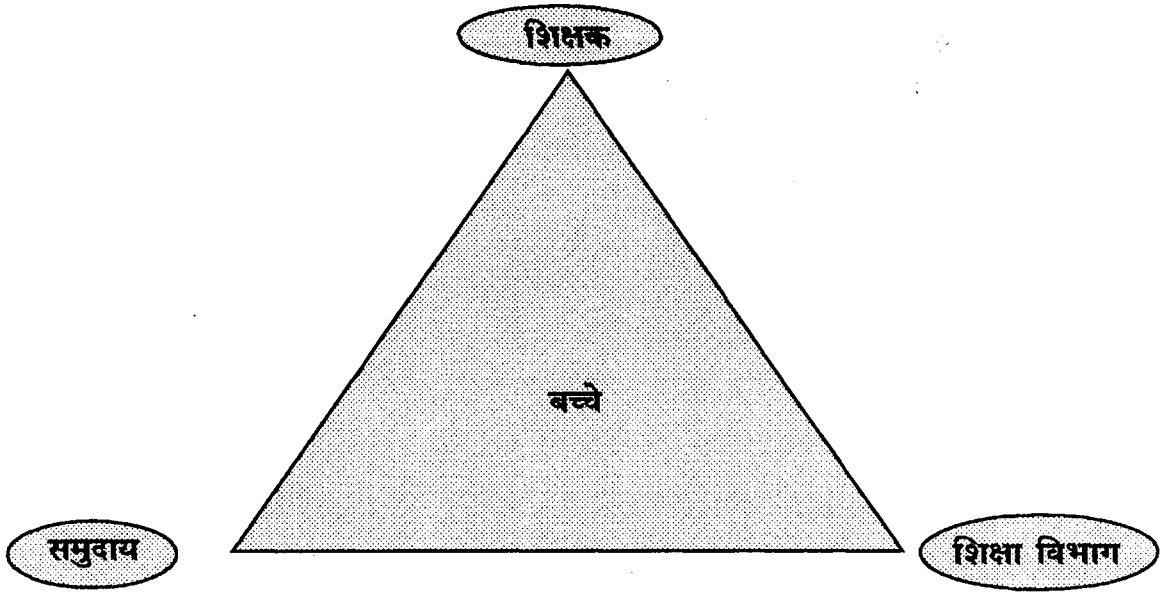

किन्तु उपर्युक्त त्रिभुज के तीनों सिरों में आपसी सामंजस्य का संकट है। विद्यालय, जिसमें बच्चा पढ़ता है वह एक सरकारी संस्था माना जाने लगा है और शिक्षक एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी बनकर रह गया है। परिणामस्वरूप लोगों का यह मानना है कि प्रायः शिक्षकों में बच्चों की शिक्षा एवं समुदाय के प्रति अपेक्षित उत्तरदायित्व का अभाव है। शिक्षा-विभाग भी समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व-निर्वाह में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में समस्त सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से, समुदाय न सिर्फ अलग-थलग पड़ा है; बल्कि वह उनसे आशान्वित भी नहीं है। पर क्या यही पूर्ण सत्य है? सच का दूसरा पहलू यह भी है कि समाज से भी अपने उत्तरदायित्वों की पहचान एवं निर्वहन में कहीं-न-कहीं चूक हुई है।

फलतः प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान करते वक्त, इनके प्रतिफलन के रूप में निम्न नकरात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता :

- प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक माहौल में गिरावट।
- विद्यालय के प्रति समुदाय, विशेषकर अभिवंचित वर्गो की उदासीनता।
- अभिवंचित वर्ग के बहुत बड़े हिस्से में विद्यालय के प्रति अलगाव (Alienation) की भावना।
- समुदाय का मात्र मूक दर्शक होना, या "पाता" (Reccipient) की स्थिति में रूपान्तरित होते जाना।
- शिक्षक समुदाय एवं अन्य वर्गों में अभिवंचितों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच / पहल का अभाव।
- नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि बढ़ाने के काम में समुदाय की सक्रिय भूमिका का नगण्य होते जाना।
- विद्यालयों के प्रबंधन से समुदाय का कोई जुड़ाव नहीं होने से विद्यालय से संबंधित भूमि, भवन, उपस्कर, पेयजल-सुविधा, शौचालय एवं क्रीड़ास्थल इत्यादि की दयनीय स्थिति।
- विद्यालय अपना है, ऐसी सोच का अभाव। परिणामतः, विद्यालय का कोई सामुदायिक संस्थागत चरित्र नहीं।

यही कारण है कि बीईपी को लोकभागीदारी और लोकसशक्तीकरण के द्वारा इस त्रिभुज के तीनों सिरों पर स्थित शिक्षक, समुदाय एवं शिक्षा-विभाग के बीच बढ़ रही खाई की पाटने का काम अपने हाथ में मजबूती से लेना होगा।

1.3 लोकभागीदारी / लोक-सशक्तीकरण की रणनीति

निश्चित ही यह एक गंभीर मसला है कि आजादी के बाद के वर्षों में सरकार ने लोगों के विकास का कार्य जिस ढंग से अपने हाथों में लिया, उससे लोग दिनोंदिन सरकार पर निर्भर होते चले गए और

उनकी अपनी भूमिका एवं क्षमता का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षा का विकास भी इसका अपवाद न था।

परन्तु विगत कुछ वर्षों में शैक्षिक प्रबंधन एवं विकास की प्रक्रिया से जुड़े योजनाकर्मियों में यह भावना प्रबल हुई है कि बिना लोकसशक्तीकरण एवं लोकभागीदारी के शिक्षा का दीर्घकालीन विकास (Sustainable development) संभव नहीं है। इसके लिए लोगों, विशेषकर अभिवंचित वर्गों को अपने स्तर पर सोचने, विश्लेषण करने एवं निर्णय लेने का हक देना होगा; ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सकें।

दूसरे शब्दों में, समुदाय के हाथों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का नेतृत्व सौंपना होगा तथा समुदाय से विनम्रतापूर्वक सीखते हुए जमीनी रणनीतियाँ बनानी होंगी। बि. शि. प. की दृष्टि में लोकभागीदारी एवं लोकसशक्तीकरण का मूल-मंत्र यही है और इसी के माध्यम से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है :

- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के माध्यम से बिहार के गाँवों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करना।
- समुदाय की क्षमता को विकसित करना; ताकि सरकार पर निर्भरता कम हो।
- नामांकन, ठहराव और उपलब्धियाँ बढ़ाने के काम में सकारात्मक सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना।
- अभिवंचित वर्गों / परिवारों में प्राथमिक शिक्षा के प्रति ललक एवं सकारात्मक सोच पैदा करना।
- बालक-बालिका के बीच के सामाजिक विभेद को समाप्त करना एवं महिला-सशक्तीकरण की प्रक्रिया तेज करना।
- शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अपंग बच्चों की सम्मानजनक शिक्षा-संबंधी आवश्यकता के प्रति समुदाय में संवेदना पैदा करना, और
- विद्यालय-प्रबंधन में भागीदार के रूप में समुदाय के अभिवंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों / जनजातियों– विशेषकर महिलाओं, मजदूरों एवं छोटे किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

2. ग्राम शिक्षा समिति

2.1 अवधारणा :

प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समिति के गठन की आवश्यकता बीईपी की **''सामूहिक सहभागिता से साझी समझ''** की प्रक्रिया का सबसे सशक्त और ठोस पहलू है। ग्राम शिक्षा समिति, लोकभागीदारी एवं लोक-सशक्तीकरण के वाहक के रूप में एक ऐसी सामुदायिक व्यवस्था / प्रणाली है जो सही अर्थों में --

- गाँव में प्राथमिक शिक्षा के विकास में अभिरुचि रखनेवाले समर्पित एवं समय देनेवाले व्यक्तियों को आम सभा / ग्राम सभा की सहमति से इसमें शामिल होने का मौका प्रदान करती है।

- संबंधित विद्यालय के संस्थागत सामुदायिक चरित्र को उभारकर नामांकन, ठहराव और उपलब्धि के स्तर को अनवरत बनाए रखती है, तथा

- समुदाय के अभिवंचित वर्गों, यथा-- मजदूरों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों / जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों को अपने सांगठनिक ढाँचे के अन्तर्गत समुचित प्रतिनिधित्व देकर उन्हें न सिर्फ समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है; बल्कि अपने साझा हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने का उन्हें अधिकार भी देती है।

अंततः बिहार शिक्षा परियोजना की यह समझ है कि समुदाय को राज्य द्वारा चलाए जाने वाले सभी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त हो समुदाय यह देखे कि कार्यान्वयन कहाँ और कैसे हो रहा है; यहाँ तक कि यदि आवश्यक हो तो समुदाय सकारात्मक हस्तक्षेप भी कर सके। इस प्रकार ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से समुदाय के ''सूचना के अधिकार'' को सुनिश्चित करना भी बिहार शिक्षा परियोजना का लक्ष्य है।

2.2 स्वरूप (सांगठनिक ढाँचा)

बीईपी के द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं अन्य मध्य विद्यालयों, जिनमें प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई होती है, को इकाई मानकर उनके लिए ग्राम शिक्षा समिति गठित / पुनर्गठित करने की योजना है। प्राथमिक उर्दू विद्यालयों (मकतबों) की ग्राम शिक्षा समितियों का स्वरूप सामान्य ग्राम शिक्षा समितियों के

स्वरूप से थोड़ा भिन्न होगा। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य प्रायः संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र से लिए जाएँगे। साधारणतया ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की कुल संख्या 15 होगी; परन्तु यदि विद्यालय के पोषक क्षेत्र की आबादी अपेक्षाकृत अधिक हो तो यह संख्या 21 तक बढ़ाई जा सकती है।

2.2.1 सदस्यों का चयन

	श्रेणी	संख्या
☐	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई)	5 से 7
☐	महिलाएँ (कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई)	5 से 7
☐	अन्य वर्ग (कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई)	5 से 7

उपर्युक्त तीनों ही श्रेणी के सदस्यों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यदि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की आबादी बिल्कुल न हो, अर्थात शून्य हो तो वैसी स्थिति में रिक्त पदों को महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाकर भरा जा सकता है।

जहाँ तक ग्राम शिक्षा समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का सवाल है, यथासंभव निर्धारित 5 से 7 सदस्यों में से कम से कम 3 या 4 सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं में से लिए जाएँगे।

ग्राम शिक्षा समितियाँ आम सभा / ग्राम सभा की खुली बैठक में गठित / पुनर्गठित कराई जाएँगी। आम सभा / ग्राम सभा द्वारा विभिन्न श्रेणी के सदस्यों के चयन में इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि ग्राम शिक्षा समिति में सभी टोलों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके अतिरिक्त, अन्य वर्गों के लिए निर्धारित सदस्य संख्या के अन्तर्गत ही संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक भी सम्मिलित होंगे, जो समिति के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। कोशिश हो कि महिलाएँ एवं अनुसूचित

जाति / जनजाति के लोग क्रमशः महिला एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों का चयन करने में पहल करें।

ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों के चयन के पश्चात् चयनित सदस्य, जिनकी संख्या 15 से 21 होगी, अपने में से अपनी सुविधानुसार उसी दिन और उसी वक्त (अलग बैठकर) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और इसकी घोषणा आम सभा के बीच करेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से कम-से-कम एक पद पर चयनित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों अथवा महिला सदस्यों में से एक को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

बिहार शिक्षा परियोजना के ध्यान में यह बात आई है कि उर्दू प्राथमिक विद्यालयों / मकतबों में अल्पसंख्यक समुदाय के ही बच्चे पढ़ते है। वैसी दशा में इन विद्यालयों के लिए गठित ग्राम शिक्षा समितियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित स्थानों को महिलाओं से भरा जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालयों के लिए गठित ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं की सहभागिता दो-तिहाई होगी।

ध्यान रहे कि दोनों ही प्रकार की ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्यों का चयन विधिवत प्रचार-प्रसार एवं वातावरण निर्माण-अभियान समाप्त होने के बाद विद्यालय के पोषक क्षेत्र में एक सुनिश्चित तिथि को बुलाई गई आम सभा / ग्राम सभा की बैठक में सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट** में दिया गया है।

2.2.2 विशेष आमंत्रित सदस्य :

उपर्युक्त समितियों में निम्न सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मनोनयन विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में किया जाएगा, जो संबंधित विद्यालय क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिन्हें आम सभा / ग्राम सभा द्वारा चयनित मूल समिति में प्रतिनिधित्व न मिला हो :

- ☐ वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक (या अनुदेशिका)।
- ☐ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक (या अनुदेशिका)।
- ☐ महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत गठित महिला समूहों की सखी / सहेली / सहयोगिनी।

- ☐ स्थानीय महिला सहकारी समिति की प्रतिनिधि।
- ☐ नेहरू युवा केन्द्र द्वारा गाँव में स्थापित युवा-मण्डल के प्रतिनिधि।
- ☐ आँगनबाड़ी केन्द्र की संचालिका या वर्कर।
- ☐ गाँव में कार्यरत स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि।
- ☐ शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दुर्बल / विकलांग बच्चों के माँ-बाप / अभिभावक-प्रतिनिधि।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कार्य से जुड़े वैसे प्रेरक जो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य नहीं हैं, भी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

नोट / विशेष टिप्पणी

- ☐ भारत गणराज्य के 47वें वर्ष में संसद द्वारा पारित **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996** के अन्तर्गत बिहार राज्य के जो 112 प्रखंड शामिल किए गए हैं, उनमें इस घोषित अधिनियमानुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन संबंधी सभी अधिकार ग्राम-सभा में निहित माने गए हैं। अतएव, इन अनुसूचित क्षेत्रों में पड़ने वाले विद्यालयों के लिए "ग्राम शिक्षा समितियों" का गठन ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से किया जाता हैं। **ऐसी ग्राम शिक्षा समितियों के कम-से-कम आधे सदस्य अनुसूचित जनजातियों से होंगे, और अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।**
- ☐ बिहार में **नया पंचायती राज कानून** लागू होने पर सभी ग्राम शिक्षा समितियाँ पंचायत की शिक्षा उपसमिति के रूप में कार्य करे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2.3 गठन / पुनर्गठन की रणनीति

परियोजना के सभी जिलों में यथानुसार ग्राम शिक्षा समितियों का गठन / पुनर्गठन होना है। गठन / पुनर्गठन की रणनीति निम्न प्रकार से रखी जा सकती है :–

- ☐ बि. शि. प. कर्मी / शिक्षक आधारित अभियान।
- ☐ उत्प्रेरक दल आधारित अभियान ।
- ☐ सूक्ष्म स्तरीय नियोजन आधारित अभियान ।

उपरोक्त अभियानों को इस प्रकार समझा जा सकता है :–

2.3.1 बि. श. प. कर्मी / शिक्षक आधारित अभियान

इस अभियान के केन्द्र में बि. शि. प. कर्मी एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक होंगे। बि. शि. प. कर्मी एवं शिक्षकों की सामूहिक बैठक में इस अभियान को संचालित करने की रणनीति तैयार की जा सकती है, जिसमें बि. शि. प. कर्मियों एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों / एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। विभिन्न प्रखण्डों में आयोजित होनेवाली गुरूगोष्ठियों के माध्यम से भी रणनीति बनाई जा सकती है।

उदाहरणस्वरूप, सभी बि. शि. प. कर्मी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं शिक्षकों के समूह कई दलों में बँटकर शिक्षकों के साथ संकुल स्तरीय बैठक कर सकते हैं तथा बैठक के दौरान अभियान की पूरी प्रक्रिया समझ / समझा सकते हैं। यह भी तय किया जा सकता है कि प्राथमिकता के आधार पर कितने विद्यालयों की एक साथ चुनकर सघन रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के गठन / पुनर्गठन का काम हाथ में लिया जाए। यदि संभव हो सके तो सघन रूप से कार्य करने हेतु कुछ शिक्षकों के साथ बि. शि. प. कर्मियों की टीमें बनाई जा सकती है, जो कई विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में समितियों के गठन / पुनर्गठन का काम अपने हाथ में लें। यदि यह संभव न हो तो बि. शि. प. कर्मी अपने बीच से विद्यालय बाँट सकते हैं और संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों के साथ अभियान चला सकते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के गठन / पुनर्गठन के पूर्व विद्यालय के पोषक क्षेत्र में सर्वप्रथम वातावरण निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

बैठकों में संकुल के सभी शिक्षक एवं बि. शि. प. कर्मी यह तय करेंगे कि ग्राम शिक्षा समिति के गठन हेतु विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में वातावरण निर्माण का कार्य कितनी अवधि तक संचालित करने के बाद किस-किस दिन और किन-किन स्कूलों में आम सभा / ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होंगी तथा उनमें संबंधित संकुल विद्यालय के कौन-कौन से शिक्षक और बि. शि. प. कर्मी उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहेंगे; जो **सामूहिक सहभागिता से साझी-समझ** की प्रक्रिया से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन एवं उसका विधिवत गठन सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अभियान का संचालन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

- वातावरण निर्माण एवं घर-घर सम्पर्क अभियान की रणनीति, जैसे, स्कूली बच्चों द्वारा बि. शि. प. द्वारा तैयार लोकगीतों के कैसेटों का उपयोग, बि. शि. प. द्वारा प्रशिक्षित जिला स्तरीय नाट्यदलों के सदस्यों / रंगकर्मियों का उपयोग पदयात्रा, प्रभातफेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, माता-पिता / अभिभावकों के साथ बैठक, समुदाय द्वारा घर-घर संपर्क / मानव-श्रृंखला का निर्माण और ग्राम शिक्षा समिति के गठन हेतु आमसभा / ग्रामसभा की बैठक के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार।

- निर्धारित तिथि की होनेवाली आम सभा की बैठक की 'सामूहिक सहभागिता से साझी समझ' की प्रक्रिया के आधार पर संचालित करना एवं उसके अनुसार ग्राम-शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन / चुनाव करवाना।

- इस प्रकार एक सुनिश्चित अवधि में गठित सभी ग्राम-शिक्षा समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सचिवों एवं अन्य सदस्यों की संकुल स्तर पर उन्मुखीकरण एवं विधिवत प्रशिक्षण की योजना जिला स्तरीय कार्यालय तय करेगा।

2.3.2 उत्प्रेरक दल आधारित अभियान :

इस अभियान प्रक्रिया के अनुसार बि. शि. प. कर्मी, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं, नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा स्थापित युवा मण्डलों के सदस्यों, बिशिप द्वारा कराए गए एस. एस. एस. / बी. ए. एस. से जुड़े लोग, राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मी, सेवा निवृत्त शिक्षक, कॉलेज शिक्षक, सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों तथा अन्य जागरूक व्यक्तियों आदि में से उत्प्रेरकों की पहचान करेंगे। उत्प्रेकरों के रूप में उन लोगों की ही पहचान की जानी चाहिए, जिनकी छवि समाज में अच्छी हो तथा निष्ठा समाज के साथ जुड़ी हो एवं जो समय दे सकें। उनमें प्राथमिक शिक्षा की समझ तथा प्रतिबद्धता हो। अभिवंचित वर्ग एवं

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा सम्मान की भावना हो। साथ ही मिशन-भावना से कार्य को अंजाम देते हों। उत्प्रेरकों की पहचान करने के बाद उन्हें इस बात की जानकारी या प्रशिक्षण देगें कि वे संबंधित प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के गठन का अभियान कैसे संचालित करें?

यहाँ बि. शि. प. की सोच है कि–जिला स्तरीय कार्यालय उत्प्रेरक दलों के माध्यम से कम-से-कम एक साथ एक प्रखण्ड में, एक निश्चित अवधि के भीतर ग्राम शिक्षा समितियों के गठन हेतु अभियान की पूरी रूप-रेखा तैयार करेगा और तत्पश्चात एक निर्धारित अवधि तक वातावरण-निर्माण का कार्य संचालित किया जाएगा। जैसे :– नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, मानव-श्रृंखला निर्माण, बी ई पी द्वारा तैयार लोकगीतों के कैसेटों का उपयोग, बि. शि. प. द्वारा प्रशिक्षित जिलास्तरीय नाट्यदलों के सदस्य / रंगकर्मियों का उपयोग, पदयात्रा, स्कूल-स्तर पर माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ बैठकों के माध्यम से आम-सभा / ग्राम-सभा की होनेवाली बैठक में भाग लेने हेतु ग्रामीणों को अभिप्रेरित करना इत्यादि। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्वयंसेवी संगठनों के ग्रामस्तरीय कार्यकर्त्ता, नेहरू युवा केन्द्र द्वारा स्थापित युवा-मण्डलों के सदस्य और प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक सम्मिलित प्रयास करेंगे, यानि शिक्षक आधारित अभियान के अंतर्गत जिस संकुल स्तरीय बैठक का जिक्र हुआ है, उसका भी लाभ इस अभियान के अंतर्गत लिया जा सकता है।

पुनः योजनानुसार विभिन्न विद्यालयों में निर्धारित तिथियों पर आम सभा / ग्राम सभा की बैठकों को सामूहिक सहभागिता से साझी-समझ की प्रक्रियानुसार आयोजित करने के लिए उत्प्रेरक दलों को छोटे-छोटे दलों में बाँटकर कम-से-कम तीन से पाँच विद्यालयों में एक ही दिन में ग्राम-शिक्षा समितियों के गठन / पुनर्गठन का कार्य संपादित किया जा सकता है।

इस प्रकार संबंधित प्रखण्ड में एक निर्धारित अवधि के भीतर सभी ग्राम-शिक्षा समितियों का गठन / पुनर्गठन हो जाने के बाद समितियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण की योजना और उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का कार्य जिला स्तरीय कार्यालय (DLO) द्वारा तय किया जाएगा।

2.3.3 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन आधारित अभियान :

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (Micro Planning) के दौरान बी. ई. पी. के सभी जिलों में एक अनवरत प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के गठन एवं पुनर्गठन का काम जारी रहेगा। विस्तृत विवरण हेतु कृपया **'प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन (प्रसून)'** शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का अवलोकन करें।

2.4 कार्यकाल :–

- सामान्यतया ग्राम शिक्षा समिति का कार्य-काल 3 वर्षों का होगा। परंतु कम से कम विद्यालय में नामांकित 50% बच्चों के माता-पिता की शिकायत पर आम-सभा/ ग्राम-सभा द्वारा समिति को बीच में ही भंग कर नई समिति का गठन किया जा सकता है।

- तीसरे वर्ष के अंतिम तीन महीनों में आम सभा द्वारा नई समिति का गठन नियमानुसार अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा।

- नई समिति के गठन के पश्चात पुरानी समिति अपनी समिति से संबंधित सारे कागजात, लेखा-जोखा (आय-व्यय) आम सभा के समक्ष नयी समिति को उसका कार्य-काल शुरू होने पर सुपुर्द कर देगी।

2.5 कार्य-प्रणाली :

- प्रत्येक नवगठित/पुनर्गठित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय परिसर में एक निर्धारित तिथि को संकल्प समारोह का आयोजन किया जाएगा और उस अवसर पर बाल-मेला तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है। इस सभा में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संकल्प लिए जा सकते हैं।

- पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार प्रत्येक माह में ग्राम शिक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी।

- विशेष परिस्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की बैठक एक महीने में एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है।

- समिति की बैठक बुलाने का दायित्त्व सामान्यतः सचिव का होगा, जो अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाएगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में कम-से-कम पाँच सदस्यों की सम्मिलित राय से भी समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है।

- प्रत्येक तिमाही के अंत में आम-सभा/ग्राम-सभा की बैठक बुलाकर उस बैठक में ग्राम

शिक्षा समिति अपने द्वारा संपादित कार्यों की प्रगति एवं आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। आम-सभा / ग्राम-सभा की बैठक हेतु ग्रा. शि. स. व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाएगी और आम-सभा की होनेवाली तिमाही बैठक में उनकी जगह पर उसी श्रेणी में से नए सदस्य का चयन कर लिया जाएगा।

- किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में आम-सभा / ग्राम-सभा द्वारा रिक्त पदों पर उसी श्रेणी में से नए सदस्यों का चयन कर लिया जाएगा।

- आम-सभा / ग्राम-सभा की वार्षिक बैठक में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा तैयार वार्षिक कार्य-योजना (ग्राम शिक्षा योजना) को पारित करना, विगत वर्ष में संपादित कार्यों एवं आय-व्यय की समीक्षा करने का कार्य सम्पन्न करना होगा।

2.6 दायित्व एवं कार्य :

आम-सभा / ग्राम-सभा की राय से ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु अपने दायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के निष्पादन के लिए पूर्ण रूप से स्वायत होगी। ग्राम शिक्षा समिति के दायित्व एवं कार्य-क्षेत्र में निम्न विषयों को शामिल किया जा सकता है :–

- बच्चों / छात्रों के नामांकन, ठहराव और उपलब्धि स्तर में अभिवृद्धि के प्रयास।

- विद्यालय में छात्रों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण।

- विद्यालय प्रबंधन में भागीदारी।

- माता-शिक्षक समिति / अभिभावक-शिक्षक समिति का गठन।

- विद्यालय के विकास हेतु समस्त उपाय करना।

3. परिशिष्ट

3.1 ग्राम शिक्षा समिति के गठन/पुनर्गठन हेतु 'सामूहिक सहभागिता से साझी समझ' की प्रक्रिया

ग्राम शिक्षा समिति के गठन या पुनर्गठन हेतु प्राथमिक विद्यालय-विशेष में पढ़नेवाले बच्चों के माता-पिता तथा उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के निवासियों की बैठक पूर्व सूचना के आधार पर करना ठीक रहेगा। इस बैठक के पूर्व प्रभात फेरियाँ, मानव श्रृंखला निर्माण, लोकगीतों, बि.शि.प. द्वारा तैयार किए गए कैसेटों, पद-यात्रा, दीवार लेखन, विद्यालय स्तरपर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि-आदि के माध्यम से (जहाँ तक संभव हो) समुदाय को प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रति अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जाए। इसी दौरान विद्यालय के प्रधान शिक्षक, बि. शि. प. से मिलकर बैठक की तिथि तय कर लें। कोशिश यह हो कि बैठक में भाग लेने की सूचना दो-तीन दिन पूर्व से ही सभी तक पहुँच जाए तथा बैठक का समय भी लोगों के सुविधानुसार तय लिया जाए। बैठक विद्यालय परिसर में ही आयोजित हो।

बैठक के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा या गाँव/मुहल्ले की सांस्कृतिक टोलियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जा सकता है। यदि समुदाय से कोई व्यक्ति इस अवसर पर गीत या कविता आदि का पाठ करना चाहें तो उन्हें उसका अवसर दिया जाना चाहिए। समुदाय को प्रस्तुतियों के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। बैठक संचालन करने के लिए आम सहमति से एक संचालन मंडली बनाई जा सकती है, जिसमें महिलाएँ एवं अभिवंचित वर्गों के व्यक्ति भी शामिल रहें। यह मंडली 3,5,7 आदि की संख्या में हो सकती है।

सर्वप्रथम शिक्षक एवं बि. शि. प. कर्मी समुदाय के आमंत्रित सज्जनों का स्वागत करें तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा करें। चर्चा उस गाँव/मुहल्ले के बच्चों/बच्चियों की प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जैसे- 6-11 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव की आवश्यकता पर केन्द्रित हो। पिछले वर्षों के आँकड़ों को प्रस्तुत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है कि बाल-पंजी के अनुसार अथवा मोटे तौर पर 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चों का नामांकन रहा है। इसी प्रकार नियमित एवं औसत उपस्थिति का विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर चर्चा में यह बात लायी जा सकती है कि विद्यालय में ठहराव का मोटे तौर पर प्रतिशत क्या रहा है? ये सूचनाएँ चार्ट पेपर/ब्लैक बोर्ड पर भी अंकित करते हुए बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर समुदाय की इच्छा हो तो इन सूचनाओं में वे अपनी तरफ से भी कुछ जोड़-घटा सकते हैं।

इन प्रारंभिक सूचनाओं के बाद बैठक में विचार के लिए कुछ विषय उभारे जा सकते हैं। ये विषय इस प्रकार हो सकते हैं :–

- ☐ प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता।
- ☐ पढ़ाई-लिखाई से होनेवाले फायदे।
- ☐ अनपढ़ रह जाने के परिणामस्वरूप आनेवाली कठिनाईयाँ।
- ☐ प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की भूमिका।
- ☐ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए माँ-बाप के कर्त्तव्य।
- ☐ बालिकाओं की शिक्षा की जरूरत।
- ☐ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय।
- ☐ समुदाय एवं शिक्षकों के आपसी संबंध।
- ☐ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों के कर्त्तव्य।
- ☐ प्राथमिक विद्यालयों को समुदाय का विद्यालय यानी हमारा विद्यालय कैसे बनाएँ?
- ☐ शिक्षक, समुदाय एवं शिक्षा विभाग के बीच के संबंध क्या हों?
- ☐ विद्यालय में सर्वव्यापी नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
- ☐ विद्यालय में सर्वव्यापी नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के लिए समुदाय को क्या करना चाहिए?
- ☐ प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव के लिए शिक्षा-विभाग को क्या करना चाहिए?
- ☐ विद्यालय के विकास हेतु समुदाय क्या-क्या कर सकता है? आदि ..... आदि।

सभी विषयों को एक साथ चार्टपेपर/ब्लैकबोर्ड पर अंकित किया जा सकता है। उपस्थित सदस्य यदि कुछ विषयों को जोड़ना चाहें, तो जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार उभरे प्रत्येक विषय पर बारी-बारी से संचालन-मंडली की देख-रेख में सामूहिक चर्चा प्रारंभ की जा सकती है। चर्चा सहभागितापूर्ण हो तथा जो विचार आएँ उसे लोग जान-समझ सकें इसके लिए प्रत्येक विचार को सारांश रूप में चार्टपेपर/ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाना ठीक रहेगा। उचित होगा कि प्रतिवेदक का भी चुनाव कर लिया जाए, जो उभरी हुई बातों को बिन्दुवार अंकित करते जाएँ। प्रत्येक विषय पर सामूहिक-चर्चा समाप्त होने के बाद उसका विवरण पढ़ कर सुनाया जाए; ताकि यदि कोई बात छूट गई हो तो वह भी अंकित हो जाए।

हर विषय पर चर्चा हो जाने के बाद बि. शि. प. कर्मी बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के गठन के संबंध में चर्चा करें। वे मोटे तौर पर ग्राम शिक्षा समिति के स्वरूप, कार्य एवं बैठकों आदि की जानकारी दें। वे इस बात को अवश्य स्पष्ट करें कि जो लोग भी ग्राम शिक्षा समिति में रहेंगे, वे गाँव/मुहल्ला के प्रति उत्तरदायी होंगे, तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों आदि की समय-समय पर जानकारी समुदाय को बैठकों में देंगे तथा समुदाय की राय समय-समय पर प्राप्त करेंगे। यह भी चर्चा करें कि जो लोग समय दे सकते हों वही लोग ग्राम शिक्षा समिति में शामिल किए जाएँ। तत्पश्चात ग्राम शिक्षा समिति के गठन/पुनर्गठन के लिए एक दूसरी बैठक की तिथि एवं समय घोषित कर दिया जाए; ताकि गाँव के लोग आपस में पूरी चर्चा करके सदस्यों का नाम दें सकें। दूसरी बैठक में मुख्यतः ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन करा लिया जाएगा।

यदि पहली बैठक में पर्याप्त संख्या में लोगों की उपस्थिति हो तथा लोग उसी बैठक में ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन कर लेने के पक्षधर हों, तो उस बैठक में ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन किया जा सकता है।

यदि माइक्रो प्लानिंग के क्रम में ग्राम शिक्षा समिति का गठन होना हो या प्रेरक दलों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जा रहा हो तो उपर्युक्त प्रक्रियानुसार बैठकों को आयोजित एवं संचालन कराने की जिम्मेदारी माइक्रो प्लानिंग कराने वाले प्रेरक/अभिप्रेरक या प्रेरक दल अपने उपर लेंगे। अन्य स्थिति में यह जिम्मेदारी सीधे बि. शि. प. कर्मी उठाएँगे। परन्तु, हर हालत में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की सहभागिता अवश्य सुनिश्चित रहेगी।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन होने के उपरांत यथाशीघ्र इसकी एक बैठक विद्यालय में की जाए; जिसमें सामूहिक सहभागिता के अनुसार पुनः उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर सभी सदस्यों की राय माँगी जाए। उस राय का प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में से ही किसी को दी जा सकती है। पूर्व की भांति ही प्राप्त राय का अंकन चार्ट पेपर/ब्लैक बोर्ड पर किया जा सकता है; ताकि सभी सदस्य स्वयं देखकर जान सकें कि विभिन्न बिन्दुओं पर साझी समझ क्या बन रही है।

बिहार शिक्षा परियोजना कर्मी / उत्प्रेरक / अभिप्रेरक जैसी भी स्थिति हो, सभी बैठकों में निरंतर कोशिश करेंगे कि समुदाय को यह न लगे कि समुदाय की समझदारी पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। यह भी न लगे कि समुदाय के प्रति यथोचित सौजन्यता का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। पूरी विनम्रता के साथ समुदाय के प्रति आदर-भाव प्रदर्शित करते हुए बैठकों में बातों को आगे बढ़ाना आवश्यक होगा। साझी समझ इसी सामूहिक सहभागिता से उभरेगी।

ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में ही उसके अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। तत्पश्चात ग्राम शिक्षा समिति को समिति का खाता स्थानीय बैंक में खोल लेने की सलाह दे दी जा सकती है।

3.2 प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर चर्चा की कुछ मुख्य बातें

समुदाय की बैठक में अभिप्रेरक दल / उत्प्रेरक / बि. शि. प. कर्मी प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर जब अपनी बात रखें, तो उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वे क्या कहकर लोगों को अभिप्रेरित करना चाहेंगे। नीचे सरल भाषा में एक नमूना अंकित किया जा रहा है, जो चर्चा में काम आ सकता है :–

''बच्चे बड़े होकर जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरी कुशलता से कर सकें; इसके लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ बातों की जानकारी अवश्य हो। इन बातों में सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि बच्चे अपनी भाषा को लिखना-पढ़ना जान सकें,गणित की जानकारी रख सकें तथा अपने आस-पास की दुनिया एवं ज्ञान-विज्ञान की थोड़ी बहुत समझ जरूर रख सकें। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे को यही सब सिखलाया जाता है। इसलिए अगर बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा – 5 तक की पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो बड़े होकर अपने कामों को कुशलता से करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लें कि खेती का काम करना है। उसके लिए अच्छे बीज, खाद, समय पर पानी देना तथा अपनी उपज को लाभप्रद मूल्य पर कहाँ और कैसे बेचा जाए; आदि-आदि की जानकारी आवश्यक है। अगर नौकरी करना हो तो बिना पढ़ाई-लिखाई के नौकरी मिल ही नहीं सकती। साधारण से दिखनेवाले काम भी हुनर होने पर बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। बच्चों को निरोग रखने के लिए क्या-क्या भोजन दिया जा सकता है, इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है जो पढ़ाई-लिखाई से मिल सकती है।

इसके अलावे अगर किसी भी काम को सोच-समझ कर किया जाए तो वह काम बेहतर होगा। आदमी के अन्दर सोचने-समझने की शक्ति कैसे पैदा होगी? सोचने-समझने के मायने हैं कि हमारा दिमाग इस ढंग से काम करे कि जब कोई भी समस्या सामने हो तब हम विचार करें कि समस्या क्या है? क्यों है? कहाँ है? कैसे हैं? तथा उसे हल करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक कि समस्या आने के पूर्व

ही हम अनुमान भी लगा सकें। इसे हम वैज्ञानिक ढंग से सोचना-समझना कहते हैं। वैज्ञानिक ढंग से सोचना-समझना प्रायः तभी आ सकता है, जब हम पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें।

इसलिए पढ़ना-लिखना तो बहुत ही जरूरी है। गाँवों में जिन परिवारों में पढ़े-लिखे लोग हैं वे परिवार हर मामले में दूसरे परिवार से आगे निकल जाते हैं। यह बात समाज, राज्य, और देशों पर भी लागू होता है। पढ़ने-लिखने का मतलब केवल यही नहीं होता कि स्कूल में नाम लिखा दिया और साल के अंत में मास्टर साहब से कह-सुनकर दूसरी कक्षा में चले गए। पढ़ने-लिखने का मतलब होता है कि जिस क्लास में नाम लिखाएँ उस क्लास में जो कुछ भी सालभर पढ़ाया-लिखाया जाता है, उसे मन लगा कर सीखें। यानी पढ़ने के लिए स्कूल जाएँ। मास्टर साहब से खूब सवाल पूछें और जो बात समझ में नहीं आए, उसे दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ जब स्कूल से घर जाएँ तो घर पर भी समय निकाल कर दिन-भर की पढ़ी-लिखी बातों को फिर से दुहरा लें। कोई बात न समझ सकें हो तो घर में दूसरे पढ़े-लिखे व्यक्तियों से पूछें, समझें, और जानें। इसे हम पक्की पढ़ाई कहते हैं। यह पते की बात है कि जब पक्की पढ़ाई होगी, तभी बड़े होकर बच्चे अपना काम पूरी तत्परता से कर सकते हैं।

बच्चियों को भी पढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना बच्चों को। कहते हैं कि अगर बेटी पढ़ ले तो उससे पूरा खानदान पढ़ लेता है। अगर बेटी अनपढ़ हो तो उसका दिन ससुराल में काफी दुख से बीतता है। वह माँ-बाप को चिट्ठी तक नहीं लिख सकती है। अगर पति बाहर है तो उसे भी अपना खबर लिखकर नहीं बता सकती। अब जमाना गया कि औरत की जगह केवल चौका-बर्त्तन, झाड़ू-बुहारू तक ही सीमित है। औरत-मर्द दोनों कानूनन बराबर हैं। दोनों की बराबर हक है, इसलिए बेटियों को पढ़ाना उतना ही जरूरी है, जितना बेटों को।

बच्चों का दिमाग बड़ा कोमल होता है। इस कोमल दिमाग का विकास धीरे-धीरे होता है। इसलिए पढ़ाई का बोझ उन पर कम उम्र में नहीं लादा जा सकता। इसलिए यह माना जाता है कि जबतक बच्चा या बच्ची छः साल के उम्र के नहीं हो जाएं, उनका दिमाग पढ़ाई के लिए तैयार नहीं रहता। इसका मतलब यह हुआ कि 6 साल की उम्र होने पर बच्चों को पढ़ने के लिए हर हालत में भेज देना चाहिए। यानी कक्षा 1 में बच्चों का नाम 6 साल होने पर जरूर लिखवा देना चाहिए। इसी प्रकार 11 साल की उम्र होते-होते बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। इस तरह 6-11 की उम्र के सभी बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नाम लिखाएँ, नियमित स्कूल आएँ और पक्की शिक्षा प्राप्त करें; यह बहुत जरूरी है।

अब हम देखें कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? सरकार की क्या भूमिका है? और समाज की क्या भूमिका है? समाज में बच्चों के माता-पिता भी शामिल हैं। माना जाता है कि शिक्षक, समाज, और सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए आपस में मिलकर त्रिभुज के तीन कोण बनते हैं (यहाँ पर ब्लैक बोर्ड

या चार्ट पेपर पर त्रिभुज बना कर दिखलाएँ)। इस त्रिभुज के केन्द्र में अगर हम बच्चों की रखें तो स्पष्ट है कि बच्चे की पक्की शिक्षा की जवाबदेही सम्मिलित रूप से इन तीनों की है। सरकार का काम है कि वह स्कूल की व्यवस्था करे, शिक्षकों की व्यवस्था करे, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करे, और यह देखें कि शिक्षकों को पढ़ाने में कोई कठिनाई न हो। शिक्षकों का काम है कि वे खूब मन लगाकर नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाएं। वे ध्यान दें कि बच्चों को खेल-खेल में आनन्ददाई ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जाए कि बच्चे अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ डाले बिना सीख सकें। पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ शिक्षक बच्चों को सफाई, समय पर विद्यालय आना, माता-पिता एवं गुरूजनों का आदर करना, विनम्रता से बात करना आदि-आदि बातें भी बताएँ। अब माना जाने लगा है कि यदि शिक्षक छोटे बच्चों को बिना छड़ी के प्रयोग के पढ़ाते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। रही बात समाज की। यह कर्त्तव्य तो समाज का बनता ही है कि 6-11 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे-बच्चियों का चाहे वे अपने घर की हों या पड़ोस की हों, विद्यालय भेजा जाए और पक्की शिक्षा प्राप्त करें। इसके अलावा यह भी देखना ठीक होगा कि विद्यालय भले ही सरकारी हों, लेकिन वह समाज की अपनी चीज, अपना विद्यालय यानी 'हमारा विद्यालय' बन जाए। विद्यालय के विकास के उपाय भी समय-समय पर समाज की करना होगा। जैसे, हम मंदिर-मस्जिद की देखभाल खुद करते हैं, वही स्थान विद्यालय का भी है। जो बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं वे एक प्रकार से परमात्मा के ही रूप होते हैं; इसलिए विद्यालय के विकास की थोड़ी बहुत जबावदेही समाज की तो जरूर होती है।

सरकार पर ही बहुत ज्यादं निर्भर होने से ऐसा देखा गया है कि विद्यालय का पूरा विकास नहीं हो पाता। विद्यालय 'हमारा विद्यालय' नहीं बन पाता–वह सरकारी विद्यालय बनकर रह जाता है। एक तो सरकार के पास हर काम के लिए पूरा पैसा हो और वह भी समय पर हो और उसका भी सही ढंग से उपयोग हो सके– यह कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में केवल सरकार के भरोसे हम विद्यालय को छोड़ दें– यह ठीक नहीं होगा। अब तो सरकार भी मानने लगी है कि बिना समाज की मदद के विद्यालयों का विकास और बच्चों को पक्की शिक्षा का प्रबंध संभव नहीं रह गया है। राज्य के बहुत से ऐसे जिले हैं और स्कूल हैं जहाँ समाज ने विद्यालय के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। **(यहाँ पर अपने जिला या अन्य जिलों से कुछ उपलब्ध उदाहरण लिये जा सकते हैं)।** ऐसा पाया गया है कि समाज के सहयोग के परिणामस्वरूप उस गाँव / मुहल्ले के विद्यालयों में काफी सुधार हुआ है।

अगर शिक्षक, सरकार, और समाज शिक्षा के साझे कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने लगे तो प्राथमिक शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना सरकारी संस्था नहीं है, सरकार भी नहीं है, शिक्षा विभाग भी नहीं है; अपितु यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए लोगों के बीच काम करने के लिए बनी संस्था है। इसलिए बि. शि. प. से हमलोग यह कहने आए हैं कि शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए समाज और शिक्षक जो कुछ भी करेंगे, उसमें हमारा भी अपना योगदान जरूर होगा। हमें विश्वास है कि हम सभी मिल-जुलकर प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बना सकेंगे।

4. उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल

4.1 उद्देश्य

- प्रतिभागियों के बीच बिहार शिक्षा परियोजना (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) के उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में समझ विकसित करना।
- ग्राम शिक्षा समिति 'क्या ? क्यों ?और कैसे ?' के संबंध में समझ विकसित करना।
- वातावरण-निर्माण के विभिन्न विधाओं की जानकारी देना एवं उसके क्रियान्वयन हेतु क्षमता विकसित करना।
- ग्रामीण स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों, संगठनों एवं समितियों तथा ग्रामवासियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- सामूहिक सहभागिता से साझी-समझ की प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति का गठन / पुनर्गठन सुनिश्चित करना।

4.2 प्रशिक्षण संबंधी सामान्य बातें

4.2.1 प्रशिक्षण की व्यवस्था

- 35 - 40 व्यक्तियों के रहने, खाने-पीने एवं उनके प्रशिक्षण हेतु बैठने तथा रात्रि विश्राम की जगह हो।
- प्रशिक्षण के स्थल का चुनाव (डायट, पंचायत भवन, विद्यालय या अन्य स्थान)।
- प्रतिभागियों की सूची।
- भोजन की व्यवस्था।
- साधनसेवियों की सूची (जिन्हें व्यवस्थापक की भूमिका भी निभानी है)।

- ☐ प्रकाश-व्यवस्था ।

  (जेनरेटर, लालटेन, पेट्रोमैक्स, डीजल, किरासन तेल आदि)

- ☐ प्रशिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था ।
- ☐ प्रशिक्षण की तिथि का निर्धारण कर लिया जाए ।
- ☐ प्रशिक्षण-स्थल की सफाई आदि कर ली जाए ।
- ☐ शौचालय एवं पानी की उचित व्यवस्था कर ली जाए ।
- ☐ टेपरिकार्डर, शिक्षा-गीत माला (शिक्षाप्रद गीत), टेलीविजन, वीडियो, वीडियो-कैसेट (शिक्षा पर आधारित) ।
- ☐ साधनसेवियों के रात्रि-विश्राम की अलग से व्यवस्था हो जिसमें वे प्रशिक्षण की सामग्रियाँ रख सकें।

4.2.2 सामग्री -सूची

1. कॉपी, कलम, रजिस्टर इत्यादि (प्रतिभागियों की संख्यानुसार)।
2. अभियान गीत की प्रतियाँ / शिक्षा गीत माला के कैसेट ।
3. ग्राम शिक्षा समिति मॉड्यूल की प्रतियाँ ।
4. सूक्ष्मस्तरीय नियोजन मॉड्यूल (प्रसून) की प्रतियाँ ।
5. चार्ट-पेपर, स्केच पेन आदि (आवश्यकतानुसार)।
6. मार्कर पेन –4 (चार रंगों का)।
7. सेलो टेप ।
8. स्टेपलर (पीन के साथ)।
9. कैंची।
10. रस्सी (लगभग 10 मीटर)।

11. चॉक, डस्टर आदि।

12. श्यामपट (बोर्ड आदि)।

13. पेपर क्लिप दो पैकेट।

14. प्रशिक्षण संबंधी हस्त-पत्र।

15. नारों की सूची।

16. अन्य सामग्रियाँ (आवश्यकतानुसार)।

उपर्युक्त सूची सिर्फ मार्गदर्शन के लिए दी गई है। साधनसेवी दल को चाहिए कि वे प्रशिक्षण शुरू होने से पहले सभी अपेक्षित सामग्रियों की सूची बना लें और आवश्यकतानुसार इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लें।

4.2.3 प्रशिक्षण की विधि / प्रक्रिया

- ☐ सहभागिता आधारित प्रशिक्षण।
- ☐ भाषण का कम से कम उपयोग।
- ☐ केवल नए विषय पर आवश्कतानुसार भाषण।
- ☐ बड़े समूह / छोटे समूह में चर्चा / समूह प्रस्तुति ।
- ☐ वार्तालाप / दिमागी कसरत / विचार-मंथन।
- ☐ प्रतीकारात्मक खेल / रोल प्ले / केस स्टडी।
- ☐ झिझक तोड़ / सुस्ती तोड़ खेल एवं गतिविधियाँ।
- ☐ गीत / नाटक / कहानी।
- ☐ क्षेत्र-कार्य (फिल्ड वर्क) / व्यावहारिक अभ्यास।

साधनसेवी उपर्युक्त वर्णित विधि / प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रशिक्षण-सूत्रों के लिए निर्धारित विषयों को स्पष्ट करने के लिए साधनसेवी प्रशिक्षण विधि / प्रक्रिया में आवश्यक फेर-बदल कर सकते हैं।

4.2.4 दिनचर्या के मुख्य बिन्दु

पूर्व संध्या		5.00 बजे
	निबंधन	
	सामग्री-वितरण	
सुबह का सत्र		
	जागरण	: 5.00 बजे
	प्रार्थना	: 6.30 बजे
	सफाई	: 7.00 बजे
	स्नान / ध्यान	: 7.30 बजे
	नास्ता	: 8.30 बजे
भोजन-पूर्व सत्र		: 9.00 बजे
	चाय	: 11.00 बजे
	दोपहर का भोजन	: 1.00 बजे
भोजनोपरांत सत्र		: 2.30 बजे
	चाय	: 4.00 बजे
	मुक्तावकाश	: 5.30 बजे
रात्रि-सत्र		
	सांस्कृतिक कार्यक्रम / स्वकार्य	: 7.00 बजे
	रात्रि-भोजन	: 8.30 बजे
	दीप शान्ति	: 10.00 बजे

4.2.5 प्रशिक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

- साधनसेवी होते हुए भी स्वयं को प्रतिभागी समझें तथा प्रतिभागी के साथ श्रेणी / कतार में बैठें।
- यथासंभव 'हम', 'हमलोग' का प्रयोग करें। आप, आपलोग उत्प्रेरक लोग आदि का प्रयोग न्यूनतम करें।
- समय की प्रतिबद्धता, सहज तथा सौहार्दपूर्ण माहौल तथा अनुशासन सदैव बनाये रखें।
- किसी के तीव्र विचार का प्रतिरोध नहीं हो, विचारों का आदर हो।
- सभी बातों / विचारों का अनावश्यक रूप से उत्तर या जवाब नहीं देना तथा वाद-विवाद में नहीं उलझना।
- सुनना अधिक, बोलना कम।
- समुदाय के प्रति हमेशा ही आदरभाव रखना, उदाहरण के लिए किसी भी अंश के प्रति अनादरसूचक शब्दों जैसे 'अनपढ़', 'वे', 'वे सब' के प्रयोग से बचना।
- महिलाओं के प्रति आदर तथा सम्मान भाव।
- सभी प्रतिभागी किसी न किसी रूप में शरीक हों- यह ध्यान रखना, जिससे कि उनके अंदर की प्रतिभा या गुण निकले। इसके लिए उपयुक्त तथा उन्मुक्त माहौल पैदा करना।
- कोई बाहरी व्यक्ति / विशिष्ट अतिथि अगर प्रशिक्षण के दौरान आते हैं, तो उन्हें सम्मान देना, लेकिन उनसे कोई लेक्चर / भाषण नहीं दिलवाना, उनकी सहभागिता भी एक प्रतिभागी के रूप में हो। (उससे अधिक नहीं)।
- कोई औपचारिक उद्घाटन आदि जरूरी नहीं।
- भोजन आदि में सादगी लेकिन स्वच्छता तथा सफाई ।
- बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रमों में मांसाहारी / गैरशाकाहारी भोजन पर पूरी पाबंदी है।
- आदेश एवं निर्देश शब्द का प्रयोग न किया जाए।
- प्रशिक्षण अवधि में नीरसता आने पर खेल आदि का उपयोग किया जा सकता है।

4.3 उत्प्रेरक प्रशिक्षण मॉड्यूल की विवरणी

(तीन दिवसीय आवासीय)

4.3.1 पूर्व संध्या

विषय - वस्तु

1. निबंधन / सामग्री-वितरण,
2. अभियान-गीत,
3. जोड़ों में परिचय,
4. प्रशिक्षण-व्यवस्था की जानकारी,
5. प्रतिवेदन लिखने की जानकारी एवं प्रतिवेदक का चयन।

4.3.1 पूर्व संध्या

1. विषय –वस्तु

निबंधन / सामग्री वितरण।

1.1 उद्देश्य

प्रत्येक प्रतिभागी का नाम एवं पता सूचीबद्ध करना तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री प्रतिभागियों को देना।

1.2 विधि

बड़े समूह में।

1.3 प्रक्रिया

साधनसेवी प्रतिभागियों को निर्धारित समय में प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित होने का आमंत्रण दें। जब लगभग सभी प्रतिभागी कक्ष में उपस्थित हो जाएँ तो साधन सेवी दल का ही कोई सदस्य समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करे। प्रतिभागियों के बैठने की स्थिति वृत्त में होनी चाहिए। तत्पश्चात प्रतिभागियों का निबंधन कर लिया जाए। निबंधन के क्रम में प्रतिभागियों के बीच

प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्रियों का वितरण कर दिया जाए। यथा, कॉपी, पेन परिचय-कार्ड एवं अन्य आवश्यक साहित्य आदि।

1.4 सामग्री

निबंधन-रजिस्टर, प्रतिभागियों की संख्यानुसार रजिस्टर तथा पेन, अभियान-गीत माला, ग्राम शिक्षा समिति पर पहले से तैयार पुस्तिका, परिचय कार्ड, दो-तीन रंग का स्केच पेन, आलपीन इत्यादि।

1.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों का नाम, पता तथा प्रशिक्षण संबंधित सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।

1.6 सावधानियाँ

- ☐ प्रशिक्षण-कक्ष प्रतिभागियों के आने के पहले तैयार होनी चाहिए।
- ☐ सामग्री प्रतिभागियों की संख्यानुसार होनी चाहिए।

2. विषय- वस्तु

अभियान-गीत।

2.1 उद्देश्य

प्रशिक्षण के प्रति भावनात्मक संबंध विकसित करना एवं प्रशिक्षणानुकूल माहौल तैयार करना।

2.2 विधि

बड़े समूह में।

2.3 प्रक्रिया

सभी प्रतिभागी बड़े समूह में U आकार या गोलाई में खड़े हो जाएँगे। साधनसेवी दल बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा उपलब्ध अभियान-गीत को लयबद्ध ढंग से गाएगे तथा सभी प्रतिभागियों को सामूहिक रूप से दुहराने के लिए कहेंगे। प्रशिक्षण प्रारंभ के दिन "सौ में सत्तर आदमी, फिलहाल जब नाशाद है .....'या' ले मशालें चल पड़े है लोग मेरे गाव के ....' का गाया जा सकता है।

2.4 सामग्री

अभियान गीत माला की प्रति / गीतों के कैसेट्स एवं ऑडियो सिस्टम।

2.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों के बीच गीत के माध्यम से संवेदनशीलता तथा प्रशिक्षण के प्रति लगाव पैदा करना।

2.6 सावधानियाँ

- ☐ अभियान-गीत राग में ही गाया जाए।
- ☐ अभियान-गीत के बीच प्रतिभागी या प्रशिक्षक दल आपस में बात न करें।
- ☐ अभियान-गीत हमेशा खड़ा होकर ही गाया जाए।
- ☐ अभियान-गीत में सभी प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

3. विषय-वस्तु

जोड़ों में परिचय।

3.1 उद्देश्य

एक दूसरे का परिचय जानना तथा आपसी मेल-मिलाप के लिए माहौल प्रदान करना।

3.2 विधि

बड़े समूह में।

3.3 प्रक्रिया

जोड़ों में आपसी परिचय गतिविधि को आयोजित करने से पूर्व प्रशिक्षक आवश्यक तैयारी कर लें। साधनसेवी दल प्रतिभागियों एवं खुद की संख्यानुसार छोटे-छोटे कागज के टुकड़े बना लें, तथा उस पर आवश्यकतानुसार विपरीतार्थक शब्द लिख लें, यथा –

आग	-	पानी
गरम	-	ठंढ़ा
मोटा	-	पतला

उपर्युक्त तैयारी पूरी कर लेने के पश्चात् प्रतिभागियों को गोलाई में बैठाया जाए तथा कोई एक प्रतिभागी के माध्यम से तैयार कागज के टुकड़ों को प्रतिभागियों के बीच बँटवाया जाए। कागज पर लिखे टुकड़ों को बाँटने के पश्चात् प्रतिभागियों को कह दिया जाए कि प्रतिभागी स्वतंत्रतापूर्वक विपरीतार्थक शब्द को खोजें एवं अपना-अपना साथी तैयार करें।

इस तरह सबों की जोड़ी बन जाने के पश्चात् प्रत्येक जोड़ी साथी निम्न बिन्दुओं को आधार मानते हुए परिचय प्राप्त करेंगे–

- ☐ नाम
- ☐ पता
- ☐ योग्यता
- ☐ अनुभव
- ☐ अभिरूचि
- ☐ प्रशिक्षण से अपेक्षाएँ
- ☐ अन्य पारिवारिक जानकारी आदि।

आपसी परिचय हेतु 10 मिनट का समय लिया जाए। निर्धारित समय सीमा के समाप्ति के पश्चात् जोड़ों में एक निर्धारित समय सीमा के समाप्ति के पश्चात् जोड़ों में एक- दूसरे का परिचय बड़े समूह में कराया जाए तथा सभी जोड़ों का परिचय हो जाने के पश्चात् प्रतिभागियों से प्रतिक्रियाएँ ली जाएं :–

- ☐ इस तरह के परिचय से आपको क्या लाभ हुआ ?
- ☐ अपना परिचय स्वयं के द्वारा दिया जाना तथा स्वयं का परिचय दूसरों के द्वारा दिए जाने पर आपने क्या अन्तर महसूस किया ?
- ☐ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह के परिचय का क्या उद्देश्य हो सकता है ?

3.4 सामग्री

जोड़ी वाली गतिविधि संबंधित सामग्री यथा कागज को टुकड़े पर लिखे विपरीतार्थक शब्द / तस्वीर का कटा भाग आदि।

3.5 निष्कर्ष

- ☐ प्रशिक्षण की सहभागिता-विधि के प्रति प्रतिभागियों को मोड़ना।

- ☐ आपसी पूर्ण परिचय तथा एक जोड़े एवं एक बड़े समूह में रहने की भावना का विकास करना।

- ☐ प्रशिक्षण के सफल संचालन के लिए माहौल तैयार करना।

3.6 सावधानियाँ

- ☐ प्रशिक्षण के इस सत्र के पूर्व जोड़ी वाली गतिविधि संबंधित सामग्री तैयार होनी चाहिए।

- ☐ कोई भी टुकड़ा/कार्ड प्रतिभागी की संख्या तथा प्रशिक्षक, दल की संख्यानुसार होनी चाहिए।

- ☐ साधनसेवी भी इन अभ्यासों में खुलकर भाग लें, तथा यदि कोई व्यक्ति बिना जोड़ी का बच जाता है तो उसे भी खुद अपनी जोड़ी में शामिल कर परिचय प्राप्त करें।

- ☐ विपरीतार्थक शब्दों का चयन ऐसा करें जो आसानी से समझ में आ जाए।

4. विषय-वस्तु

प्रशिक्षण-व्यवस्था की जानकारी।

4.1 उद्देश्य

- ☐ प्रशिक्षण-सत्र के सफल संचालन को सुनिश्चित करना।

- ☐ प्रशिक्षण की समयबद्धता के प्रति माहौल तैयार करना।

4.2 विधि

बड़े समूह में।

4.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में प्रशिक्षण-व्यवस्था के संबंध में विमर्श किया जाए। इस संबंध में प्रतिभागियों से प्रतिक्रियाएँ एवं आवश्यक सुझाव बेहतर संचालन के लिए अवश्य लिए जाएँ। साधनसेवी प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था बनाएँ :–

- ☐ भोजन-व्यवस्था, ☐ सफाई-व्यवस्था,
- ☐ वर्ग-व्यवस्था, ☐ सांस्कृतिक कार्यक्रम-व्यवस्था।

उपर्युक्त प्रत्येक व्यवस्था के अन्तर्गत कम-से-कम 6 प्रतिभागी अवश्य रहें। प्रत्येक व्यवस्था की कार्य-पद्धति क्या होगी, इस पर भी चर्चा की जाए; ताकि प्रत्येक प्रतिभागी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से करे एवं अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करे।

4.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच (दो-तीन रंगों का) / श्यामपट, चॉक, डस्टर आदि।

4.5 निष्कर्ष

- ☐ प्रतिभागियों को समिति विभाजन द्वारा जिम्मेदारी सौंपना तथा प्रशिक्षण-अवधि तक प्रशिक्षण से जोड़ना।
- ☐ प्रतिभागियों को अपने-अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना।

सावधानियाँ

- ☐ चयन सहमति एवं सहभागिता आधारित होनी चाहिए।
- ☐ यदि किसी विशेष व्यक्ति के नाम को लेकर प्रतिभागियों में अन-बन हो जाए, तो साधनसेवी अपने विवेक एवं परिस्थितिनुसार बीच का रास्ता अपनाएँ।
- ☐ विभिन्न समितियों संबंधित कार्यों की स्पष्ट जानकारी दें तथा यह अवश्य बताएँ कि अन्य सदस्य भी हर समिति के साथ मिलकर अपनी सहभागिता निभा सकते हैं।

5. विषय-वस्तु

प्रतिवेदन लिखने की जानकारी एवं प्रतिवेदक का चयन।

5.1 उद्देश्य

- ☐ प्रतिवेदन लिखने की जानकारी एवं लिखने का कौशल विकसित करना।
- ☐ प्रत्येक दिन होनेवाली गतिविधि का संकलन करना; ताकि उसे बाद में भी पढ़कर याद ताजा किया जा सके।

5.2 विधि

बड़े समूह में।

5.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में प्रतिवेदन लिखने एवं इसकी उपयोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाए। प्रतिवेदन लिखने के निम्न बिन्दु हो सकते हैं :–

- सत्र प्रारंभ की गतिविधि।
- प्रत्येक सत्र की विषय-वस्तु।
- विषय-वस्तु का उद्देश्य।
- विषय-वस्तु की समझ के लिए अपनाई गई प्रक्रिया / विधि।
- विषय-वस्तु के अन्तर्गत अपनाई गई प्रक्रिया-विधि से उभरे मुख्य बिन्दु।
- विषय-वस्तु के संदर्भ में निष्कर्ष।
- सत्र के दौरान अन्य अपनाई गई नीरसता दूर करने की गतिविधियाँ।
- दिन-भर के चर्चा के दौरान, चर्चा कितनी लाभदायक रही।

प्रतिवेदक का मन्तव्य

प्रतिवेदन लिखने हेतु प्रतिभागियों के बीच से भोजनोपूर्व-सत्र के लिए दो व्यक्ति तथा भोजनोपरांत-सत्र के लिए दो व्यक्ति कुल चार प्रतिभागियों का चयन कर लिया जाए। साधन सेवी प्रतिभागियों की प्रतिवेदन लिखने हेतु प्रेरित करें; ताकि प्रत्येक दिन प्रतिभागी इस कार्य को करने के लिए स्वयं अपना नाम प्रस्तावित करे।

5.4 सामग्री

सादा कागज, पेन इत्यादि।

5.5 निष्कर्ष

प्रतिवेदन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना तथा आपसी सहभागिता को बल प्रदान करना।

5.6 सावधानियाँ

प्रतिभागी यदि कुछ बिन्दु पर बोलन चाहें तो साधनसेवी उसे ध्यान से सुनें तथा यदि उपयुक्त है तो उसे आग़े बढ़ाएँ, अन्यथा उनकी बातों को जोड़ते हुए आगे बढ़ें।

4.3.2 प्रथम दिवस

भोजन-पूर्व सत्र

विषय वस्तु

1. अभियान-गीत [10 मिनट]
2. प्रतिवेदन-प्रस्तुति एवं प्रतिवेदक का चयन [20 मिनट]
3. गाँव के बच्चे / बच्चियाँ एवं विद्यालय :– [90 मिनट]
   - ☐ शैक्षणिक-स्थिति।
   - ☐ विद्यालय नहीं जाने के कारण।
   - ☐ विद्यालय की स्थिति।

चाय [15 मिनट]

4. समुदाय की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदलें ? [30 मिनट]
5. बिहार शिक्षा परियोजना / डी.पी. ई. पी. एक परिचय :– [45 मिनट]
   शैक्षणिक पुनर्निमाण में एक सहयोगी के रूप में।
6. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण क्या ? क्यों ? और कैसे ? :– [30 मिनट]
   नामांकन, ठहराव, अधिगम स्तर / उपलब्धि स्तर।

दोपहर का भोजन [90 मिनट]

भोजनोपरान्त सत्र

सुस्ती तोड़ खेल [15 मिनट]

भोजनपूर्व चर्चा के बचे हुए अंशों पर चर्चा। [30 मिनट]

7. ग्राम शिक्षा समिति के गठन हेतु उत्प्रेरक आधारित अभियान की रणनीति :– [45 मिनट]
   - ☐ वातावरण निर्माण / गाँव को समझना,
   - ☐ सामूहिक सहभागिता से साझी समझ का विकास,
   - ☐ ग्राम शिक्षा समिति का गठन।

चाय [15 मिनट]

8. छड़ी अभ्यास (प्रतीकात्मक खेल) [60 मिनट]
9. पुनरावृति [15 मिनट]
10. स्वकार्य : ☐ बाल अधिकार,
    ☐ महिलाओं की स्थिति - बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में।

4.3.2 प्रथम दिवस

1. विषय-वस्तु [10 मिनट]

अभियान-गीत

- साधनसेवी अभियान गीत बदल कर पूर्व संध्या (पिछले दिन) की भांति कराएँ तथा उसी प्रक्रिया से गुजरें।

2. विषय-वस्तु [20 मिनट]

प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं प्रतिवेदक का चयन

- साधनसेवी प्रतिवेदन सत्र का संचालन पूर्व संध्या (पिछले दिन) बताई गई विधि के अनुसार करें तथा उसी प्रक्रिया से गुजरें।

3. विषय-वस्तु [90 मिनट]

गाँव के बच्चे / बच्चियाँ एवं विद्यालय :–

- शैक्षणिक-स्थिति।
- विद्यालय नहीं जाने के कारण।
- विद्यालय की स्थिति।

3.1 उद्देश्य

- बच्चे / बच्चियों की शैक्षिक स्थिति से अवगत होना एवं विद्यालय नहीं जाने के कारण के संबंध में समझ विकसित करना।
- विद्यालय की दयनीय स्थिति के संबंध में संवेदनशील बनाना तथा विद्यालय अपना है, समुदाय का है– अनुभव कराना।

3.2 विधि

बड़े समूह में, दिमागी कसरत द्वारा।

3.3 प्रक्रिया

मुख्य विषय-वस्तु गाँव के बच्चे / बच्चियों एवं विद्यालय को केन्द्रित करते हुए बड़े समूह में निम्नलिखित विषय-वस्तु पर बारी-बारी से चर्चा कराई जाए। यथा,

- गाँव की शैक्षणिक स्थिति।
- बच्चे / बच्चियों के विद्यालय नहीं जाने के कारण।
- विद्यालय की स्थिति।

प्रत्येक विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पूर्व प्रतिभागियों से विचार लिये जाएँ, एवं प्राप्त विचारों को ब्लैकबोर्ड या चार्ट-पेपर पर लिख लिया जाए। विचारों की प्राप्ति के पश्चात् उभरे विचारों को केन्द्रित करते हुए चर्चा कराई जाए। यह विश्लेषणात्मक चर्चा होगी। चर्चा के अन्त में पुनः प्रतिभागियों के बीच निम्न प्रश्नों की रखा जा सकता है :–

- गाँव की दयनीय शैक्षणिक स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है ?
- शैक्षणिक स्थिति के सुधार के लिए क्या उपाय हो सकते हैं ?
- अधिकतर बच्चे / बच्चियाँ विद्यालय नहीं जा रहे हैं; कारण क्या हो सकते हैं ?
- विद्यालय, शिक्षक, समुदाय के बीच बेहतर संबंध कैसे बनाया जा सकता है ?

हो सकता है, प्रत्येक समस्या-समाधान के लिए प्रतिभागियों की ओर से नकारात्मक सुझाव आए। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षक समाधान हेतु साकारात्मक उपाय सोचने के लिए प्रेरित करें।

3.4 सामग्री

बोर्ड, चॉक, डस्टर / चार्ट-पेपर, स्केच, मार्कर-पेन आदि।

3.5 निष्कर्ष

वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिभागियों को स्थिति के प्रति सोचने को विवश करना तथा एक भावी रणनीति जो इन पद्धतियों के बदलने में कारगर हो सके, के प्रति आत्म-दृष्टि विकसित करने का मौका देना।

3.6 सावधानियाँ

- ☐ प्रशिक्षक दल चर्चा की अवधि में कभी भी ऐसी बात न बोले, जिससे प्रतिभागियों में मतैक्य हो जाए।

- ☐ पहले प्रतिभागियों के बिन्दु को लिखें तथा अपनी बिन्दु लिखने के पहले सहमति अवश्य ले लें।

- ☐ भाषणबाजी से बचें तथा सरकारी-तंत्र एवं शिक्षक की कार्य-विधि पर अनावश्यक बहस न करें।

4. विषय-वस्तु [30 मिनट]

समुदाय की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदलें ?

4.1 उद्देश्य

समस्याओं के समाधान हेतु सोच एवं जागरूकता का विकास करना।

4.2 विधि

बड़े समूह में– दिमागी कसरत द्वारा।

4.3 प्रक्रिया

पूर्व चर्चा के दौरान उभरे नाकारात्मक सोच को केन्द्रित करते हुए प्रतिभागियों के बीच चर्चा हेतु निम्नलिखित विषय-वस्तु को रखा जाए :–

- ☐ समुदाय की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदलें ?

उपर्युक्त विषय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिभागियों से विचार लिये जाएँ। प्रत्येक विचार को चार्टपेपर या ब्लैकबोर्ड में अंकित कर लिया जाए। आगे प्रतिभागियों की सहमति से प्राप्त महत्वपूर्ण विचारों को रेखांकित कर उस पर चर्चा को जाए। चर्चा के दौरान साधनसेवी अपने विचारों को अवश्य जोड़ें एवं विषय-वस्तु का सार संक्षेपण कर दें। सार संक्षेपण के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर प्रतिभागियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाए :–

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9894
Date .... 27-?-98

- गाँव में शैक्षणिक-वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है।
- अभिवंचित वर्ग / महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।
- विद्यालय की भौतिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार हेतु समुदाय को आगे लाने की आवश्यकता है।
- अपनी स्थिति में सुधार हेतु स्वयं को सजग बनाने की आवश्यकता है।
- पढ़े- लिखे जागरूक व्यक्तियों को स्थिति-सुधार हेतु आगे लाने की आवश्यकता है।
- अपनी संवेदना का अभिवंचित वर्ग के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त चर्चा पूरी होने के पश्चात पुनः प्रतिभागियों के समक्ष, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु लोकभागीदारी की आवश्यकता पर परिचर्या की जाए। उनसे कहा जाए कि ग्राम शिक्षा समिति पर वितरित मुद्रित-सामग्री में से अध्याय 1 एवं 2.1 पर परिचर्या करें। परिचर्या के दौरान लोकभागीदारी की आवश्यकता से जुड़ी विभिन्न बिन्दुओं की ब्लैकबोर्ड या चार्टपेपर पर अंकित करते हुए लोक-सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाए।

4.4 सामग्री

बोर्ड, चॉक, डस्टर / चार्ट-पेपर, स्केच, मार्कर इत्यादि।

4.5 निष्कर्ष

स्वयं प्रतिभागी के अंदर उपजी सोच जो नकारात्मक थी, उसे सकारात्मक बनाने को प्रेरित करना तथा एक अर्न्तदृष्टि का विकास करना; ताकि चर्चा की बात समुदाय तक पहुँच सके।

सावधानियाँ

- चर्चा के समय प्रशिक्षक दल समय का भी ख्याल रखें।
- यदि चर्चा विषयांतर होने लगे तो उसे आराम से दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास करें।

5. विषय-वस्तु

[45 मिनट]

बिहार शिक्षा परियोजना / डी.पी.ई.पी. एक परिचय :— शैक्षणिक पुनर्निमाण में एक सहयोगी के रूप में।

5.1 उद्देश्य

बी.ई.पी. / डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य, उद्देश्य एवं रणनीति के संबंध में समझ विकसित करना।

5.2 विधि

बड़े समूह में हस्तपत्र का स्वध्याय एवं परिचर्या।

5.3 प्रक्रिया

बी.ई.पी. / डी.पी.ई.पी. के उद्देश्य लक्ष्य एवं रणनीति के संबंध में प्रतिभागियों के बीच समझ विकसित करने हेतु पूर्व ही उपर्युक्त विषय-वस्तु को आधार बनाकर संक्षिप्त हस्तपत्र तैयार कर लिया जाए। प्रत्येक प्रतिभागी को वह हस्तपत्र दे दें तथा बारी-बारी से उनका वाचन करने की कहें। वाचन के क्रम में सभी प्रतिभागी बी.ई.पी. / डी.पी.ई.पी हस्तपत्र को क्रमबद्ध ढंग से समझते हुए तथा मुख्य बिन्दुओं को अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। वाचन समाप्ति के पश्चात हस्तपत्र से जुड़ी विषय-वस्तुओं के संबंध में जो समझ प्रतिभागियों में बनी है, प्रतिभागियों से उनकी प्रतिक्रियाएँ ली जाए तथा उसे ब्लैकबोर्ड पर लिख लिया जाए।

ही सकता है, हस्तपत्रों से संबंधित सभी मुख्य बिन्दु प्रतिभागियों की ओर से न आ सके। अतः वैसी स्थिति में साधनसेवी उन बिन्दुओं को अवश्य जोड़ दें तथा चर्चा को आगे बढ़ाएँ। चर्चा के अन्त में यह अवश्य जानकारी दी जाय कि बी.ई.पी. / डी.पी.ई.पी. की भूमिका शैक्षणिक पुनर्निमाण में सहयोगी के रूप में होगी।

5.4 सामग्री

बोर्ड, चॉक, ड्स्टर / चार्ट-पेपर, स्केच, मार्कर, हस्त-पत्र आदि।

5.5 निष्कर्ष

बी.ई.पी. / डी.पी.ई.पी. से जुड़ने के प्रति एक ललक, तथा उसके उद्देश्यों को अपने उद्देश्यों से जोड़ने के प्रति संवेदनशील बनाना।

5.6 सावधानियाँ

- ☐ साधनसेवी उद्देश्यों को स्पष्ट बता दें।
- ☐ कभी भी ऐसा न कहें कि डी.पी.ई.पी. एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षा जगत का कायाकल्प कर देगा; बल्कि उसे एक छोटे एवं विनम्र प्रयास के रूप में ही बाँधें, जो सबकी सहभागिता से ही संभव है।

6. विषय-वस्तु

[30 मिनट]

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण क्या? क्यों? और कैसे ?:– नामांकन, ठहराव, अधिगम स्तर/उपलब्धि-स्तर।

6.1 उद्देश्य

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के मुख्य आयामों की जानकारी देना।

6.2 विधि

बड़े समूह में परिचर्या।

6.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में पहले साधन-सेवी **इस** बिन्दु से संबंधित बातों के सहारे चर्चा को आगे बढाएँगे। साथ ही साथ एक हस्त-पत्र दिया जाएगा; जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण संबंधित विभिन्न आयाम यथा-ठहराव, नामांकन, अधिगम स्तर/उपलब्धि स्तर आदि का विस्तृत जिक्र किया जाएगा। इन हस्तपत्रों की सहायता से साधनसेवी प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न आयामों के बारे में संतुलित जानकारी प्रदान करें।

सार्वजनीकरण में चर्चा के समय लोकभागीदारी तथा सहभागिता वाली बात का जिक्र अवश्य करें कि जब तक यह सब नहीं होगा, सार्वजनीकरण की बात की पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। इस चर्चा में अभिवंचितों की सहभागिता, महिलाओं की सहभागिता आदि विषयों का उपयुक्त समावेश करें।

6.4 सामग्री

हस्तपत्र (प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न आयाम)।

6.5 निष्कर्ष

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं इसके क्रियान्वयन के विभिन्न आयामों एवं विषय-वस्तु की पूर्ण जानकारी देना।

सावधानियाँ

प्रशिक्षक दल ठहराव, नामांकन, अधिगम स्तर की जानकारी यथासंभव स्पष्ट कर दें तथा यदि कोई भ्रांति प्रतिभागियों के मन में है तो उसका निराकरण अवश्य कर दें।

सुस्ती-तोड़-खेल [15 मिनट]

- भोजनोपरान्त सत्र में साधनसेवी दल रोचकता बनाए रखने के लिए कोई भी खेल प्रतिभागियों के बीच खेलाएँ, जिससे प्रशिक्षण का माहौल बना रह सके।

यदि भोजन के पहले वाली चर्चा अधूरी है, तो उसको पूरा करें। [30 मिनट]

7. विषय-वस्तु [45 मिनट]

ग्राम शिक्षा समिति के गठन हेतु उत्प्रेरक आधारित अभियान की रणनीति।

7.1 उद्देश्य

सशक्त ग्राम शिक्षा समिति के गठन हेतु रणनीति का रेखांकन करना तथा तदनुरूप स्वयं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध करना।

7.2 विधि

बड़े समूह में चर्चा।

7.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में ग्राम शिक्षा समिति गठन हेतु उत्प्रेरक आधारित अभियान की रणनीति क्या होगी? प्रश्न को देखते हुए प्रतिभागियों से विचार लिए जाएँ एवं प्राप्त विचारों को ब्लैकबोर्ड पर लिख लिया जाए। सभी प्रतिभागियों से विचार लेने के पश्चात प्राप्त विचारों में से सबसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रतिभागियों की सहमति से रेखांकित कर लिया जाए। इसके पश्चात साधनसेवी रेखांकित बिन्दुओं के संदर्भ में अभियान की रणनीति निम्न क्रम में बताएँ :–

- वातावरण निर्माण / ग्रामीणों को समझाना।
- सामूहिक सहभागिता से साझी समझ का विकास।

- ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
- ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण।

उपरोक्त प्रत्येक बिन्दु पर सामान्य चर्चा अवश्य की जाए तथा अपनाई जानेवाली रणनीति में अभिप्रेरक की क्या भूमिका होगी, के संबंध में एक समझ विकसित की जाए।

7.4 सामग्री

चॉक, डस्टर, बोर्ड / चार्ट-पेपर, स्केच, आदि।

7.5 निष्कर्ष

शैक्षणिक पुर्ननिर्माण की दिशा में आगे बढ़कर सोचने को प्रवृत्ति को विकसित करना तथा संपादित किए जानेवाले कार्यों के प्रति समझ विकसित करना।

7.6 सावधानियाँ

- इसमें पूर्णतः प्रशिक्षक दल ही न बोलें; बल्कि प्रतिभागी से भी पूछते रहें कि वातावरण निर्माण में आप और क्या-क्या कर सकते हैं? आदि।
- चर्चा पूरी तरह सहभागिता आधारित हो, सुनिश्चित करते रहें।

8. विषय-वस्तु

[90 मिनट]

छड़ी-अभ्यास (प्रतीकात्मक खेल)

8.1 उद्देश्य

- समूह की सहभागिता से पुनर्निर्माण कार्य को सहज बनाना।
- व्यक्तिगत संसाधन पर सामूहिक संसाधन की महत्ता के प्रति संवेदनशील बनाना।
- संगठन आवश्यक क्यों – इसके प्रति जागरूक करना।
- एकता में ही शक्ति है– इस बात को सिद्ध करना।

8.2 विधि

प्रतीकात्मक खेल।

8.3 प्रक्रिया

साधनसेवी इसके पहले की चर्चा को इस तरह बाँधे कि अंतिम बिन्दु सामूहिक सहभागिता की बात पर केन्द्रित हो जाए। ऐसा करने के पश्चात् प्रतिभागियों के बड़े समूह को बोलें कि आइए इसे और गहराई से देखने के लिए एक अभ्यास करें :–

प्रतिभागियों को 5 मिनट का समय देकर उन्हें बता दें कि वे बाहर जाकर एक-एक छोटी छड़ी (यथा टहनी, छोटी-मोटी कमानी) जो भी बाहर प्रकृति में मिले, लेकर वापस आ जाएँ। साथ ही साथ यह भी बता दें कि प्रत्येक प्रतिभागी अपने लिए छड़ी खुद लेकर आएँगे तथा छड़ी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें शाखा न हो। जब सारे प्रतिभागी छड़ी लेकर वापस आ जाएँ, तो साधनसेवी सभी प्रतिभागियों को अपनी-अपनी जगह बैठने को बोल दें। इसके बाद साधनसेवी बोलें कि प्रत्येक प्रतिभागी बताएँ कि वे अपनी-अपनी छड़ी से कौन-कौन सी आकृति (Shape) बना सकते हैं।

मसलन, प्रतिभागी बोल सकते हैं कि इस छड़ी से हम पेंसिल कलम, बाँसुरी आदि बना सकते हैं। लेकिन यह गलत होगा। साधनसेवी उनसे सिर्फ आकृति की बात करें। यथा - खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा आदि। जब प्रतिभागियों की तरफ से आकृति की बात स्पष्ट नहीं हो पा रही हो तो साधनसेवी पहले की तीनों आकृतियों में से कोई एक आकृति बता दें। इस तरह अंततः सारे प्रतिभागी इन बातों को स्वीकार कर लेंगे कि एक छड़ी से सिर्फ यही तीन आकृति बना सकते हैं। इन तीनों आकृतियों को साधनसेवी बोर्ड या चार्ट-पेपर पर अंकित कर दें।

अब साधनसेवी प्रतिभागियों को 5-5 के छोटे-समूह में बाँट दें तथा प्रत्येक समूह के सदस्य को आपस की 5 छड़ियों के सहयोग से आकृति बनाकर उसका नाम कॉपी में अंकित करने तथा फिर दूसरी आकृतियाँ बनवाएँ। आकृति ऐसी होनी चाहिए जो कि अधिकतम 5 छड़ियों की मदद से बन जाए। यह भी स्पष्ट निर्देश दे दें कि आकृति बनाते समय यदि कोई अन्य प्रतिभागी उस आकृति को बनाकर दिखाने को बोले,तो उस समूह को वह आकृति बनाकर दिखाना होगा। इसके लिए 15 मिनट का समय निश्चित कर दें। समय समाप्त होने पर अब बारी-बारी से प्रत्यके समूह को 5 आकृतियाँ बताने को कहें। साथ ही साथ यह भी बता दें कि

यदि किसी एक समूह से एक आकृति आ गई है तो दूसरा समूह इन आकृतियों के बदले दूसरी आकृति का ही नाम लें। अक्सर प्रत्येक समूह में लगभग एक ही आकृति का नाम आता है। साधनसेवी इन आकृतियों को लिखते जाएँ। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे चक्र की भी मदद ली जा सकती है, यथ– अब प्रत्येक समूह दो-दो आकृतियों का नाम लेंगे। इस तरह आकृतियों की एक लम्बी सूची तैयार हो जाएगी। आकृतियाँ इस प्रकार की होंगी – जोड़, घटाव, गुणा, अंग्रेजी वर्णाक्षर, मंदिर / मस्जिद / घर / विद्यालय / अंक आदि।

इसके बाद सारे प्रतिभागी को बोलें कि वे एक साथ आपस में मिल जाएँ, तथा इन 35 छड़ियों के सहारे कोई आकृति बनाएँ। साधनसेवी इस बीच प्रतिभागियों को बातों को ध्यान से सुनते रहें। कोई कहेगा - घर बना दो, कोई कहेगा - अस्पताल, तो कोई कहेगा - पुल, सड़क आदि। यदि संपूर्ण गाँव की बात नहीं आ पा रही हो तो साधनसेवी जोड़ सकते हैं कि ये घर, मंदिर, अस्पताल, पुल,सड़क आदि कहाँ पर मिलता है, तो आपस में ही बात उठेगी कि गाँव में और तब वे लोग मिलकर एक गाँव की आकृति बना लेंगे, जिसमें सारे संसाधनों की बात होगी।

अंत में साधनसेवी अभ्यास की चर्चा में लाएँ कि किस प्रकार जब एक छड़ी हमारे पास थी, हम कुछ भी आकृति नहीं बना पाए, लेकिन जब 5 छड़ियों का समूह बना तो अनेक आकृतियाँ बनीं। सारा श्यामपट भर गया, लेकिन फिर भी ये सारी आकृतियाँ समग्र नहीं थीं। जैसे, 5 के समूह में हमलोगों ने विद्यालय बनाया तो किसी ने अस्पताल बनाया, हमलोग इन सारी सुविधाओं / संसाधनों को एक साथ नहीं बना पाए। लेकिन वहीं जब हमलोग एक साथ मिलकर बनाए तो एक पूर्ण गाँव ही बन गया, जिसमें सारा कुछ मौजूद था।

चूँकि, उत्प्रेरक का काम VEC का गठन / पुनर्गठन है। अतः इस अभ्यास को संगठन की आवश्यकता के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रशिक्षक दल इसे इस रूप में जोड़ सकते हैं कि एक पूर्ण गाँव बनाने के लिए हमें आपस में जुटना पड़ा। हमें आपस में जुड़कर एक संगठन बनाना पड़ा और जैसे ही हमारा संगठन बना हमलोग एक समग्र, पूर्ण आकृति की ओर अग्रसर हो सके।

8.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों को यह पता चलता है कि संगठन होने से हमारा व्यक्तिगत संसाधन सामूहिक संसाधन में बदल जाता है, और फिर एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है जो हमें आसानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है।

8.6 सावधानियाँ

- यदि कोई प्रतिभागी कुछ ऐसी बात बोल रहा हो जो आकृति नहीं हो सकती है, उसे खुद साधनसेवी गलत न कह दें; बल्कि, पूरे समूह से इसकी सहमति अवश्य ले लें।

- 5-5 के समूह में आकृति बनाने के समय यह जरूरी नहीं है कि हर आकृति में 5 छड़ियों की मदद ली ही जाए। यथा, जोड़, गुणा आदि के चिह्न के लिए सिर्फ दो छड़ियों की ही जरूरत होगी, यह निर्देश स्पष्ट बता दें।

- यदि प्रशिक्षण स्थल ऐसी जगह हो जहाँ छड़ी प्रतिभागियों को आसानी से उपलब्ध न हो पाए तो,वहाँ साधानसेवी प्रतिभागियों की संख्या के मुताबिक छोटी-छोटी छड़ियों की व्यवस्था कर लें।

- चार्टपेपर या बोर्ड पर अंकित करने के समय सारी अंकित आकृतियाँ रहने दें, यथा पहले एक छड़ी से फिर 5 छड़ियों से तथा तीसरा भाग पूरे समूह के मिलने से। ऐसा होने पर बार-बार इन लिखित बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना आसान होता है।

- साधनसेवी खुद कुछ बताने से बिल्कुल बचें। प्रतिभागियों से निकली बात का महत्व कुछ और होता है।

9. विषय-वस्तु

[15 मिनट]

पुनरावृत्ति।

9.1 उद्देश्य

दिनभर किए गए चर्चाओं का संस्मरण कराना तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास।

9.2 विधि

खेल के माध्यम से बड़े समूह में।

9.3 प्रक्रिया

सर्वप्रथम साधन सेवी बड़े समूह में किसी एक प्रतिभागी के पास गेंद फेकेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज वर्ग में सबसे पहले कौन सी गतिविधि या चर्चा कराई गई। संबंधित प्रतिभागी से जवाब मिलने के बाद पुनः वह प्रतिभागी संमूह के किसी अन्य प्रतिभागी के पास गेंद फेकेंगे तथा उनसे आगे की गतिविधि बोलने के लिए कहेंगे। यह क्रम तब तक चलत रहेगा जब तक कि उस दिन की सारी गतिविधियों पर चर्चा पूरी नहीं हो जाए। हो सकता है कि जिस प्रतिभागी के पास गेंद फेंका गया हो वह गतिविधि/चर्चित विषयों को ठीक से न बता पाए, वैसी स्थिति में समूह के अन्य प्रतिभागी को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

9.4 सामग्री

गेंद।

9.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को कितना ग्रहण किया है, इसकी जानकारी प्राप्त करना।

9.6 सावधानियाँ

- ☐ यदि कोई प्रतिभागी सही जबाव नहीं दे पाए तो उस पर मजाक नहीं हो।
- ☐ एक प्रतिभागी के पास दो बार गेंद न फेंका जाए।
- ☐ उत्तर देने में प्रशिक्षक अपनी तरफ से पहल नहीं करे ।

10. विषय-वस्तु

स्वकार्य

- ☐ **बाल-अधिकार।**
- ☐ **महिलाओं की स्थिति – बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में।**

10.1 उद्देश्य

- समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना।
- बाल-अधिकारों एवं लिंग भेद के प्रति संवेदना विकसित करना।

10.2 विधि

छोटे समूह में चर्चा (रात्रि में)।

10.3 प्रक्रिया

प्रतिभागियों को चार छोटे-छोटे दलों में बाँटकर रात्रि के लिए स्वकार्य दिया जाए। पहले दो समूह बाल-अधिकारों पर चर्चा करेंगे तथा बाकी दो समूह बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे और अगले दिन की प्रस्तुति के लिए यथानुसार सभी बिन्दुओं को चार्टपेपर पर अंकित कर लेंगे।

10.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच पेन, आदि।

10.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों की संबंधित विषयों के महत्त्व के प्रति जागरूक बनाना।

10.6 सावधानियाँ

चर्चा के दौरान समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

4.3.3 द्वितीय दिन

भोजनपूर्व सत्र

विषय-वस्तु

1. अभियान-गीत [10 मिनट]
2. प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं प्रतिवेदक का चयन [20 मिनट]
3. स्वकार्य की प्रस्तुति एवं चर्चा [30 मिनट]
4. वातावरण निर्माण– क्या ? क्यों ? और कैसे ? :– [60 मिनट]
   - ☐ गाँव को समझना।
   - ☐ गतिविधियों का आयोजन।
   - ☐ ग्रामीण बैठक / परिचर्या के बिन्दु।
   - ☐ अभिवंचित / महिला की सहभागिता।

चाय [15 मिनट]

5. सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया। [45 मिनट]
6. कटोरी-चर्चा अभ्यास। [60 मिनट]

दोपहर का भोजन [90 मिनट]

भोजनोपरान्त सत्र

सुस्ती तोड़ खेल [15 मिनट]

7. ग्राम शिक्षा समिति क्या ? क्यों ? और किसके लिए :– [75 मिनट]
   - ☐ सदस्यों के चुनाव हेतु आम सभा की बैठक का आयोजन।
   - ☐ सदस्यों का चुनाव कैसे ?
   - ☐ समिति का गठन कैसे ?
   - ☐ कार्यवाही संचालन / कार्यवाही लिखने का तरीका।

चाय [15 मिनट]

8. पुनरावृत्ति। [15 मिनट]
9. संध्या में क्षेत्र-कार्य : गाँव में वातावरण निर्माण का व्यवहारिक अभ्यास।

4.3.3 द्वितीय दिवस

1. विषय वस्तु [10 मिनट]

अभियान-गीत

- साधनसेवी प्रथम दिन की तरह आज भी प्रशिक्षण की शुरूआत एक नए अभियान गीत से करते हुए पूर्व की प्रक्रिया से गुजरें।

2. विषय-वस्तु [20 मिनट]

प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं प्रतिवेदकों का चयन

- आज भी प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा प्रतिवेदकों के चयन के लिए पूर्व की भांति उसी प्रक्रिया से होते हुए आगे बढ़े।

3. विषय-वस्तु [30 मिनट]

स्वकार्य की प्रस्तुति एवं चर्चा (विषयानुसार)

3.1 उद्देश्य

बाल-अधिकारों एवं महिलाओं की स्थिति के प्रति संवेदनशील बनाना तथा बालिका शिक्षा की आवश्यकता को उजागर करना।

3.2 विधि

बड़े समूह में प्रस्तुति।

3.3 प्रक्रिया

साधनसेवी रात्रि-कार्य के रूप में दिए गए बिन्दु पर चर्चा के लिए माहौल बना लें। बेहतर होगा कि समूहवार जो चर्चा के बाद बिन्दु आए होंगे, उन्हें ही प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत करने को कहें। जिसे किसी समूह के एक सदस्य प्रस्तुत करेंगे तथा अंत में एक सामूहिक चर्चा की ओर प्रस्थान करें।

साधनसेवी दल के लिए यह एक अच्छा मौका होगा कि वे बाल-अधिकारों, महिलाओं की स्थिति तथा बालिका शिक्षा की आवश्यकता के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ ही पूर्व में की गई चर्चा जिसमें लड़का/लड़की की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति में अन्तर की ओर प्रतिभागियों की पुनः ले जाया जा सकता है; जो इस भावना की और पुख्ता करेगा कि महिला सशक्तिकरण अत्यन्त ही जरूरी है और यही हमारे डी.पी.ई.पी. का भी एक लक्ष्य है।

साधनसेवी स्वविवेक से बाल-अधिकारों की रक्षा में समुदाय की भूमिका, तथा बालिका शिक्षा के महत्त्व को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए परिस्थितिनुसार चर्चा को समाप्त करें।

3.4 सामग्री

रात्रि-कार्य के रूप में तैयार चार्ट, बोर्ड, डेस्क, चॉक आदि।

3.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों के द्वारा चर्चा के माध्यम से कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा ग्राम शिक्षा समिति के गठन के समय इसका अनुसरण करना।

3.6 सावधानियाँ

- ☐ साधन-सेवी चर्चा के समय बैठकर चर्चा न करावें; बल्कि गोलाई में ही घूमते रहें।
- ☐ चर्चा में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते रहें।

4. विषय-वस्तु

[60 मिनट]

वातावरण निर्माण-क्या ? क्यों ? एवं कैसे ?

- ☐ गाँव को समझना।
- ☐ गतिविधियों का आयोजन।
- ☐ ग्रामीण बैठक/परिचर्चा के बिन्दु।
- ☐ अभिवंचित/महिला की सहभागिता।

4.1 उद्देश्य

- ☐ गाँव में शैक्षिक वातावरण निर्माण करने की विधि/प्रक्रिया की जानकारी।

- बैठक आयोजन करने एवं अभिवंचित/महिला की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समझ विकसित करना।

4.2 विधि

छोटे समूह में चर्चा।

4.3 प्रक्रिया

प्रतिभागियों को तीन-चार समूहों में बाँट दें तथा उन्हें उक्त बिन्दु पर चर्चा करने की कहें। चर्चा से उभरे बिन्दु की चार्ट-पेपर पर अंकित करने के लिए कहें। समूह-चर्चा के लिए 30 मिनट का समय दिया जाए। समूह की चर्चा एवं रिपोर्टिंग का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात प्रत्येक समूह अपने समूह की रिपोर्टिंग एवं समय को बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अन्त में प्रत्येक समूह की प्रस्तुति के पश्चात् साधनसेवी विषय-वस्तु की केन्द्रित करते हुए वातावरण निर्माण से जुड़ी विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी क्रमशः ढंग से देंगे।

4.4 सामग्री

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन मॉड्यूल, चार्ट-पेपर, स्केच पेन आदि।

4.5 निष्कर्ष

- गतिविधि एवं रणनीति तैयार करना, जिसके माध्यम से क्षेत्र में लक्ष्य संप्राप्ति हेतु काम किया जा सके।
- वातावरण निर्माण तथा अन्य बिन्दुओं के बारे में ठोस समझ विकसित करना।

4.6 सावधानियाँ

यदि प्रतिभागियों द्वारा बतायी गई रणनीति एवं गतिविधियों में कहीं कोई अस्पष्टता है तो साधनसेवी रणनीति एवं गतिविधियों की प्रक्रिया को स्पष्ट करते जाएँ।

5. विषय-वस्तु [45 मिनट]

सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया

5.1 उद्देश्य

सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया एवं विधि की जानकारी तथा साझी समझ विकसित करने के कौशल का विकास।

5.2 विधि

छोटे समूह में चर्चा तथा रोल-प्ले आदि।

5.3 प्रक्रिया

प्रतिभागियों के बड़े समूह की तीन बार छोटे समूहों में बाँटकर सामूहिक सहभागिता से साझी समय की प्रक्रिया क्या है?– पर एक संक्षिप्त वार्ता करें। साथ-ही-साथ प्रतिभागियों को ग्रा. शि. स. मॉड्यूल में वर्णित निम्न बिन्दु को स्वाध्याय के लिए दें दिया जाए, जिससे कि वे खुलकर सामूहिक चर्चा कर सकें। सामूहिक-चर्चा के लिए तीन प्रश्न दिए जा सकते हैं :–

- सामूहिक सहभागिता से साझी समझ क्या है?
- सामूहिक सहभागिता से साझी समझ क्यों?
- सामूहिक सहभागिता से साझी समझ कैसे?

इन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा होने दें तथा प्रस्तुतिकरण के समय साधनसेवी स्वयं भी मुख्य बातों को आगे लाएँ एवं चर्चा से जोड़ते हुए साझी समझ की प्रक्रिया को स्पष्ट करें।

इसी संदर्भ में उनकी बातों को आगे लाते हुए चर्चा में जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार हमलोग बैठक आदि में इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा होगा कि साधनसेवी इस चर्चा से संबंधित कोई रोल-प्ले करा लें जो समझ को और अधिक विकसित कर सकें।

5.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच, ग्रा. शि. स. मॉड्यूल आदि।

5.5 निष्कर्ष

इस प्रक्रिया के लिए समझ विकसित करना तथा लक्ष्य की संप्राप्ति में इसके महत्त्व एवं उपादेयता पर एक आम सहमति तैयार करना।

5.6 सावधानियाँ

साधनसेवी भी ग्रा. शि. स. मॉड्यूल के इस भाग को अवश्य पढ़ लें तथा जहाँ कहीं भी प्रतिभागियों को उलझन की स्थिति हो, उन्हें स्पष्ट कर दें।

6. विषय-वस्तु

[60 मिनट]

कटोरी चर्चा अभ्यास

6.1 उद्देश्य

समूह की सहभागिता एवं संप्रेषण के संबंध में जागरूकता विकसित करना।

6.2 विधि

कटोरी चर्चा अभ्यास द्वारा।

6.3 प्रक्रिया

इसके अभ्यास के लिए बड़े समूह से पाँच सक्रिय सदस्यों का चयन करें, जिसमें एक, दो महिला अवश्य रहें। इन पाँचों सदस्यों को बीच में एक वृत्त में बैठा दें। बैठाने के क्रम में इस प्रकार बैठाएँ कि एक जगह खाली रहे, अर्थात् छह की जगह पर पाँच बैठेंगे। बाँकी बचे प्रतिभागी अपनी ही गोलाई में रहेंगे। इसके पश्चात बीच में बैठे समूह को बालिका शिक्षा की स्थिति के संबंध में चर्चा करने के लिए कहें। साधनसेवी स्पष्ट बता दें कि अन्य प्रतिभागियों को कुछ बोलना नहीं है; बल्कि एक अवलोकनकर्त्ता की भूमिका निभानी है। यदि किसी प्रतिभागी को जो बाहर बड़ी गोलाई में है, उन्हें लगता है कि दिए गए बिन्दु पर कुछ बोलना है तो वे बिना कुछ बोले चुपचाप उस खाली जगह पर बैठ जाएँगे और अपना विचार रखकर वापस हो जाएँगे।

जब तीन-चार बाहरवाले प्रतिभागी बीच के खाली स्थान पर बैठकर अपना विचार व्यक्त कर दे, तो अभ्यास को वहीं रोक दिया जाए। अब सारे प्रतिभागियों को बड़े समूह में बिठाकर चर्चा इस तरह कराएँ :–

- ☐ यहाँ अभी क्या हो रहा था ?
- ☐ बीचवाले पाँच व्यक्ति क्या कर रहे थे ?
- ☐ उनका क्या अनुभव रहा ?
- ☐ अवलोकनकर्त्ता का क्या अनुभव रहा ?
- ☐ जो व्यक्ति बीचवाली जगह पर अपना विचार देने गए, उन्हें क्या लगा ?

- क्या लोगों ने उन्हें बुलाया था या वे खुद गए थे?
- क्या बीचवाले समूह के लोग उनके विचारों से सहमत हुए या नहीं? इत्यादि।

इसी तरह के अनेक प्रश्नों के माध्यम से इसे जोड़ें कि सामूहिक सहभागिता अत्यंत जरूरी है। यदि दिए गए बिन्दु पर सारे समूह चर्चा करते, तो शायद जल्दी ही कोई खास निष्कर्ष पर पहुँच सकते। इसे इस प्रकार भी जोड़ें कि जब अवलोकनकर्त्ता वाले समूह के कुछ लोग अपना विचार देने गए तो बीच में बैठे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक इसी तरह की परिस्थिति हमलोगों के सामने आ सकती है, जब हम अपने कार्यो के लिए गाँव में जाएँगे तो ग्रामीण लोग भी हमारी बात को अनसुनी कर सकते हैं। अतः आवश्यकता होगी, सहभागिता आधारित समझ विकसित करने की।

6.4 सामग्री

बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट-पेपर, स्केच इत्यादि।

6.5 निष्कर्ष

सामूहिक सहभागिता के प्रति संवेदनशील बनाना।

6.6 सावधानियाँ

- साधनसेवी अभ्यास के समय शांति सुनिश्चित कराएँ।
- अभ्यास की प्रक्रिया स्पष्ट बता दें।
- अभ्यास को चर्चा में जोड़ते समय यह ध्यान रखें कि इसे किस-किस बिन्दु के साथ जोड़ा जा सकता है, तथा उनके साथ जोड़ने का प्रयत्न करें।

सुस्ती तोड़ खेल [15 मिनट]

- पिछले दिन की भांति साधनसेवी आज भी किसी खेल के माध्यम से भोजनोपरान्त सत्र का आरम्भ कर सकते हैं।

7. विषय-वस्तु

[75 मिनट]

ग्राम शिक्षा समिति - क्या ? क्यों ? और किसके लिए

- ☐ सदस्यों के चुनाव हेतु आम सभा का आयोजन।
- ☐ सदस्यों का चुनाव कैसे ?
- ☐ कार्यवाही संचालन / कार्यवाही लिखने का तरीका।

7.1 उद्देश्य

- ☐ प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति का महत्त्व एवं गठन / पुनर्गठन, विधि की जानकारी।
- ☐ कार्यवाही संचालन एवं कार्यवाही लिखने का कौशल विकास।

7.2 विधि

छोटे समूह में चर्चा तथा रोल-प्ले आदि।

7.3 प्रक्रिया

प्रतिभागियों को पाँच छोटे समूह में बाँटकर ग्राम शिक्षा समिति मॉड्यूल को स्वाध्याय करने एवं चर्चा करने को कहें। इस प्रकार प्रत्येक समूह अपनी समझ को चार्ट-पेपर पर निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में अंकित करेगा :–

- ☐ ग्राम शिक्षा समिति क्या ?
- ☐ ग्राम शिक्षा समिति क्यों ?
- ☐ ग्राम शिक्षा समिति किसके लिए ?
- ☐ सदस्यों का चुनाव कैसे ?

स्वाध्याय एवं चर्चा के लिए समूहों को 45 मिनट का समय दिया जाए तथा इसकी प्रस्तुति बड़े समूह में कराई जाए। प्रस्तुति उपरांत छुटे हुए अंशों को साधनसेवी अपने विचारों के साथ जोड़ते हुए चर्चा को समाप्त करें।

सदस्यों का चुनाव कैसे? को अधिक स्पष्ट करने के लिए रोल-प्ले के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए जिसमें सभी प्रतिभागी, एवं साधनसेवी ग्रामीण की भूमिका निभाएँगे एवं कोई एक प्रतिभागी उत्प्रेकर की भूमिका निभाते हुए चयन की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन करेंगे।

रोल-प्ले के अन्तर्गत की गई भूलों एवं त्रुटियों के संबंध में चर्चा कराई जाए तथा प्रतिभागियों को ही समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर साधन सेवी स्वयं रोल प्ले के माध्यम से इसकी समझ को पक्का बनाने का प्रयास करें।

7.4 सामग्री

ग्राम शिक्षा समिति मॉड्यूल, चार्ट-पेपर, स्केच आदि।

7.5 निष्कर्ष

ग्राम शिक्षा समिति के गठन की पूरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिभागियों में एक समझ विकसित करना।

7.6 सावधानियाँ

प्रशिक्षक दल खुद भी ग्राम शिक्षा समिति के मॉड्यूल का स्वाध्याय किए रहें; ताकि छुटने वाले बिन्दु की जोड़ा जा सके।

8. पुनरावृत्ति

[15 मिनट]

प्रथम दिन की भाँति दिनभर की पाठ्यचर्या का स्मरण कराने हेतु साधनेसेवी अभ्यास बराएँगे।

9. विषय-वस्तु

संध्या में क्षेत्र-कार्य : गाँव में वातावरण निर्माण का व्यवहारिक अभ्यास।

9.1 उद्देश्य

- ☐ वातावरण निर्माण करने की व्यवहारिक जानकारी एवं कौशल का विकास।
- ☐ झिझक तोड़ना आदि।

9.2 विधि

गीतमाला, नारा, वाद्ययंत्र, चार्ट-पेपर आदि।

9.3 प्रक्रिया

इसके लिए प्रतिभागियों के बड़े समूह को पाँच छोटे समूह में बाँट दें तथा प्रत्येक समूह के साथ-साथ एक साधनसेवी भी जुड़ जाएँ। प्रतिभागियों को बता दें कि उन्हें समीप के हीं पाँच विभिन्न गाँवों में ही जाना है तथा वातावरण निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों के बारे में अबतक प्राप्त जानकारी एवं ज्ञान का व्यवहारिक अभ्यास सीखना है। साथ ही अगले दिन प्रत्येक समूह द्वारा सम्पादित गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

9.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच, मार्कर इत्यादि।

9.5 निष्कर्ष

सैद्धांतिक रूप से सीखी गई बातों की व्यवहारिक रूप देना।

9.6 सावधानियाँ

- साधनसेवी हर समूह में अवश्य ही रहें।
- यदि गाँव की स्थिति ठीक न हो, तो ज्यादा रात तक वहाँ न रूकें।

4.3.4 तृतीय दिन

भोजनपूर्व - सत्र

विषय-वस्तु

1. अभियान-गीत [10 मिनट]
2. प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं प्रतिवेदक चयन [20 मिनट]
3. वातावरण निर्माण कार्य के व्यवहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान :– [90 मिनट]
   - ☐ गाँव में प्रवेश के पूर्व आपने किया क्या ?
   - ☐ गाँव में आपने किन-किन गतिविधियों को किया और कैसे किया ?
   - ☐ ग्रामीणों के साथ आपकी बैठक में साझी समझ कैसे विकसित हुई ?
   - ☐ अन्य अनुभव।

चाय [15 मिनट]

4. प्राथमिक शिक्षा का दीर्घ-कालीन संदर्भ एवं ग्राम शिक्षा समिति। [45 मिनट]
5. उत्प्रेरक के कार्य, दायित्त्व एवं भूमिका। [60 मिनट]

दोपहर का भोजन

भोजनोपरांत सत्र [90 मिनट]

सुस्ती तोड़ खेल [15 मिनट]

6. उत्प्रेरक दल निर्माण एवं व्यूह रचना :– [75 मिनट]
   - ☐ क्षेत्र में जाकर आप क्या करेंगे ? क्यों करेंगे ? कैसे करेंगे ? कब करेंगे ? और कहाँ करेंगे ? [15 मिनट]

चाय [15 मिनट]

7. उत्प्रेरक दल द्वारा साझा कार्ययोजना का निर्माण। [30 मिनट]
8. शिविर का मूल्यांकन। [15 मिनट]
9. प्रशिक्षण की समाप्ति - दीप प्रज्वलन एवं अभियान गीत के साथ सत्र का समापन। [30 मिनट]

3.3.4 तृतीय दिवस

1. विषय - वस्तु [10 मिनट]

अभियान-गीत

- ☐ अन्य दिनों की भाँति आज भी साधन सेवी कोई एक अभियान-गीत से सत्र की शुरूआत करे। चूँकि आज का सत्र अंतिम होगा, इसलिए बेहतर होगा कि 'ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के' वाला अभियान-गीत गाया जाए।

2. विषय - वस्तु [20 मिनट]

प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं प्रतिवेदकों का चयन

- ☐ साधनसेवी प्रतिवेदन सत्र को भी अन्य दिनों की भांति कराएँ तथा प्रतिवेदकों के चयन में आज बता दें कि हमारा आज का सत्र अंतिम है। अतः हमलोग आज अपना-अपना प्रतिवेदन खुद लिखेंगे, लेकिन एक व्यक्ति अपने लिखे प्रतिवेदन को जमा कर देंगे; ताकि तीन दिनों का प्रतिवेदन एकत्रित किया जा सकेगा।

3. विषय - वस्तु [90 मिनट]

वातावरण निर्माण कार्य के व्यवहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान

3.1 उद्देश्य

- ☐ वातावरण निर्माण के व्यवहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान एवं कौशल विकास सुनिश्चित करना।
- ☐ उत्पन्न बाधाओं एवं शंकाओं का समाधान निकालना।

3.2 विधि

छोटे समूह में (समूह वही होगा जो क्षेत्र-भ्रमण के दौरान बना था)।

3.3 प्रक्रिया

साधनसेवी प्रतिभागियों को अपने-अपने समूह में बैठने का अनुरोध करें तथा क्षेत्र में वातावरण निर्माण के दौरान हुई बातों के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कराएँ :–

- गाँव में प्रवेश के पूर्व आपने क्या-क्या किया ?
- गाँव में आपलोगों ने किन-किन गतिविधियों को किया और कैसे किया ?
- ग्रामीणों के साथ आपकी बैठक में साझी समझ कैसे विकसित हुई ?
- प्रत्येक गतिविधि संबंधी ग्रामीणों की प्रतिक्रिया।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर समूह-चर्चा की समाप्ति के बाद ताली से प्रतिभागियों को इकठ्ठा करते हुए प्रस्तुतिकरण का आरम्भ करें एवं सभी प्रस्तुतियाँ हो जाने के बाद प्रत्येक समूह से जुड़े साधनसेवी भी अपने-अपने अनुभवों को रखें और अन्त में सभी विचारों, प्राप्त अनुभवों तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान को मद्दे नजर रखते हुए चर्चा को साधनसेवी समाप्त करें।

3.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच, मार्कर (दो-तीन रंगों का) इत्यादि।

3.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों को इन गतिविधियों के लिए तैयार करना तथा साथ ही साथ उनके द्वारा की गई पहल का अवलोकन करना।

3.6 सावधानियाँ

- साधनसेवी हर समूह में अवश्य रहें तथा चर्चा के दौरान अपनी-अपनी बातों को अवश्य ही जोड़ें।
- परिवेश की रोचकता बनी रहे, इसे सुनिश्चित करते रहें।

4. विषय - वस्तु

[45 मिनट]

प्राथमिक शिक्षा का दीर्घकालीन संदर्श एवं ग्राम शिक्षा समिति

4.1 उद्देश्य

प्राथमिक शिक्षा के दीर्घ कालीन संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के महत्व को रेखांकित करना।

4.2 विधि

बड़े समूह में दिमागी कसरत द्वारा।

4.3 प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षा के साथ ग्राम शिक्षा समिति का दीर्घकालीन जुड़ाव दर्शाने के लिए विषय-वस्तु को बड़े समूह के समक्ष साधन-सेवी रखें तथा प्रत्येक प्रतिभागी से कम-से-कम दो विचार अवश्य लिये जाएँ। प्रतिभागियों के विचार को चार्ट-पेपर पर अंकित किया जाए। प्रतिभागियों के उभरे विचारों को केन्द्रित करते हुए चर्चा प्रारंभ करने हेतु मुख्य बिन्दुओं को रेखांकित कर लें। हो सकता है, प्राप्त विचारों के बहुत से ऐसे अंश होंगे जो विषय-वस्तु को आगे बढ़ाने में मद्दगार होंगे। वैसे बिन्दुओं को क्रमबद्ध ढंग से पुनः चार्टपेपर पर लिख लिया जाए। ये सारे बिन्दु रणनीति से संबंधित होंगे। प्रत्येक रणनीति के तहत गतिविधियाँ क्या-क्या होंगी, बड़े समूह में पुनः इस पर चर्चा कर ली जाय। चर्चा निम्न प्रपत्र पर करना श्रेयस्कर होगा :–

रणनीति	प्रस्तावित गतिविधि	कब	किनके द्वारा

उपर्युक्त प्रपत्र पर विचार आ जाने के बाद साधनसेवी प्राथमिक शिक्षा के दीर्घकालीन संदर्श में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका के महत्त्व को रेखांकित करते हुए तदनुसार क्षेत्र कार्य करने हेतु प्रेरित करें।

4.4 सामग्री

चार्ट-पेपर / बोर्ड, चॉक, डस्टर, स्केच, इत्यादि।

4.5 निष्कर्ष

ग्राम शिक्षा समिति को एक दीर्घकालिक स्वरूप प्रदान करने के प्रति अभिप्रेरित करना जो प्राथमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में सहयोगी की भूमिका निभा सकें।

4.6 सावधानियाँ

प्रतिभागियों से ही बिन्दु निकलवाने का प्रयास करें। आवश्यकतानुसार खुद भी जोड़ते जाएँ।

5. विषय - वस्तु

[60 मिनट]

उत्प्रेरक के कार्य, दायित्व एवं भूमिका।

5.1 उद्देश्य

उत्प्रेरक को उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति आत्मबोध कराना एवं दायित्वों के निर्धारण हेतु जागरूक करना।

5.2 विधि

छोटे-बड़े समूह में चर्चा ।

5.3 प्रक्रिया

साधनसेवी पहले की गई चर्चा, जिसमें प्रशिक्षण के उद्देश्य की जानकारी दी गई थी, तथा क्षेत्र-भ्रमण के दौरान बताई गई गतिविधियों जिसे प्रतिभागियों को करना था तथा साथ ही इन दो दिनों के दौरान बतायी गई बातों/उद्देश्यों के आधार पर प्रतिभागियों को कहें कि वे अपने-अपने कार्य, दायित्त्व एवं भूमिका को चार्ट-पेपर पर अंकित करें। इसके लिए प्रतिभागियों की चार छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर दें तथा चर्चा के लिए कुछ समय निर्धारित कर प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। साधनसेवी मॉड्यूल के प्रथय भाग में अंकित उत्प्रेरकों के कार्य, दायित्व एवं भूमिका को भी देख लें, तथा प्रतिभागियों को चर्चा के माध्यम से बता दें।

5.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच पेन आदि।

5.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों को उनके द्वारा किए जानेवाले कार्यों के प्रति मानसिक रूप से तैयार करना।

5.6 सावधानियाँ

साधनसेवी स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर लें कि कार्य दायित्त्व एवं भूमिका में कोई उलझन न रह जाए।

सुस्ती-तोड़ खेल [15 मिनट]

- साधनसेवी योजनोपरांत सत्र का आरंभ कराने से पहले आवश्यक समझे तो कोई सुस्ती-तोष् खेल, प्रतियोगियों के साथ खेल सकते हैं।

6. विषय - वस्तु [75 मिनट]

उत्प्रेरक दल निर्माण एवं व्यूह रचना :– क्षेत्र में जाकर,

- **आप क्या करेंगे ? क्यों करेंगे ? कैसे करेंगे ? कब करेंगे और कहाँ करेंगे ?**

6.1 उद्देश्य

उत्प्रेरक दल का गठन करना तथा रणनीति तैयार करना।

6.2 विधि

बड़े समूह में।

6.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में उत्प्रेरक दल निर्माण एवं व्यूह रचना के संबंध में साधनसेवी संक्षिप्त जानकारी प्रतिभागियों को दे दें। इसके पश्चात प्रतिभागियों को उनकी सुविधानुसार पाँच-पाँच उत्प्रेरकों का एक समूह बनाने को कहें। उत्प्रेरक दल निर्माण के क्रम में यह भी स्पष्ट करें कि एक समूह के उत्प्रेरक दल निर्माण के क्रम में यह भी स्पष्ट करें कि एक समूह के उत्प्रेरक कमोवेश एक ही क्षेत्र से हों। समूह निर्माण के क्रम में प्रत्येक समूह अपना एक नेता का चयन आम सहमति से कर ले। समूह निर्माण हेतु प्रतिभागियों को 30 मिनट का समय दिया जाए। समूह निर्माण का कार्य पूरा होने के पश्चात् प्रत्येक समूह अपने-अपने सदस्यों की एक सूची बनाकर पूर्ण विवरण के साथ दो प्रति में तैयार कर ले। एक प्रति प्रशिक्षक रख लेंगे तथा एक प्रति समूह के सदस्यों के पास रहेगी। समूह निर्माण के पश्चात क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक समूह अपनी-अपनी योजना का निर्माण निम्न बिन्दु के अनुसार करेंगे :–

1. समूह-संख्या।
2. समूह के नेता का नाम।
3. समूह के सदस्यों का नाम।

4. आच्छादित किए जानेवाले पंचायत का नाम।

5. आच्छादित किए जानेवाले गाँवों का नाम।

6. अभियान शुरू करने की तिथि।

7. अभियान समाप्त होने की तिथि।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में जो योजना बनेगी उसकी भी दो प्रतियों में से एक प्रति साधन सेवी के पास तथा दूसरी प्रति समूह नेता के पास रहेगी।

पुनः सभी समूह तैयार कार्य-योजना के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करें :–

- क्षेत्र में जाकर आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और कहाँ करेंगे ?

6.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच पेन, सादा कागज, इत्यादि।

6.5 निष्कर्ष

समूहवार कार्ययोजना को अंतिम रूप देना तथा गतिविधियों को स्पष्ट करना।

6.6 सावधानियाँ

साधनसेवी प्रत्येक बिन्दु को स्पष्ट करते जाएँ; ताकि स्पष्टता बनी रहे।

7. विषय - वस्तु

[30 मिनट]

उत्प्रेरक दल द्वारा साझा कार्य-योजना का निर्माण।

7.1 उद्देश्य

- मूल कार्य-योजना के आधार पर साझा कार्य-योजना का निर्माण करना।
- कार्य योजना में वर्णित सभी गतिविधियों को समय-सीमा के अन्दर पूरा करने के लिए दायित्त्व बोध कराना।

7.2 विधि

प्रत्येक दल आधारित।

7.3 प्रक्रिया

उत्प्रेरक दाल का गठन हो जाने के बाद साधनसेवी प्रतिभागियों को उत्प्रेरक नाम से संबोधित करते हुए उन्हें यह बताएँ कि प्रत्येक दल मूल कार्य-योजना के आलोक में अपने दल के लिए साझे रूप में कार्ययोजना का निर्माण करेगा। इसके लिए प्रत्येक दल को साधनसेवी सहायता करेंगे। मूल योजना पत्र के आधार पर तैयार होनेवाली योजना में प्रमुख रूप से प्रत्येक दल का कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के पश्चात् उत्प्रेरक दल आधारित अभियान की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

7.4 सामग्री

सादा कागज एवं कार्बन (दलों की संख्या के अनुसार)।

7.5 निष्कर्ष

एक योजना का निर्माण ताकि क्षेत्र में काम करने का ढाँचा बना रहे और क्रमवार कार्य को संपादित किया जा सके।

7.6 सावधानियाँ

साधनसेवी प्रत्येक दल में घूमते रहें तथा संशय की स्थिति में उनका मार्ग-निर्देशन करें।

8. विषय - वस्तु

[15 मिनट]

शिविर का मूल्यांकन।

8.1 उद्देश्य

- ☐ सभी प्रशिक्षण सत्रों का प्रतिभागियों द्वारा मूल्यांकन कराना।
- ☐ प्रतिभागियों में विश्लेषण की क्षमता विकसित करना एवं प्रशिक्षण को भविष्य में बेहतर बनाने के लिए अवसर प्रदान करना।

8.2 विधि

प्रत्येक प्रतिभागी आधारित।

8.3 प्रक्रिया

साधन सेवी सभी प्रतिभागियों को बताएँ कि हमारा यह अंतिम सत्र है। अतः आवश्यक है कि आपलोग इस प्रशिक्षण का मूल्यांकन करें; ताकि हमलोग इसे और बेहतर बना सकें। इसी तरह की अनेक बातों को जोड़ें। अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को एक-एक सादा कागज दे दें तथा साथ ही कुछ प्रश्न बोर्ड पर अंकित कर दें। ये प्रश्न निम्न हो सकते हैं :–

- ☐ इस प्रशिक्षण में आपको क्या-क्या अच्छा लगा ?
- ☐ इस प्रशिक्षण में आपको क्या-क्या अच्छा नहीं लगा ?
- ☐ इस प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव।

प्रतिभागियों को यह पहले से ही बता दें कि यह मूल्यांकन गुप्त रखा जाएगा। अतएव वे अपना नाम, पता न दें। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रतिभागी स्वतंत्र एवं निर्भय होकर प्रशिक्षण की उपादेयता के बारे में अपने-अपने विचारों को अंकित करेंगे और तत्पश्चात् इसे साधनसेवी दल को सौंप देंगे।

8.4 सामग्री

बोर्ड, चॉक, डस्टर, सादा कागज आदि।

8.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों का प्रशिक्षण से जुड़ाव तथा उनकी सोच को जानना।

8.6 सावधानियाँ

- ☐ साधनसेवी सारे प्रतिभागियों से कागज एक ही साथ लें।
- ☐ किसी का भी लिखा कागज प्रतिभागियों के बीच नहीं पढ़ें।

9. विषय - वस्तु

[30 मिनट]

सत्र का समापन।

9.1 उद्देश्य

प्रतिभागियों को सामूदायिक संदर्भ में अपनी-अपनी भूमिका के व्यापक महत्त्व से परिचित कराते हुए उत्तरदायित्व की भावना भरना।

9.2 विधि

कहानी, प्रतीकात्मक खेल (दीप प्रज्वलन) एवं अभियान-गीत आधारित।

9.3 प्रक्रिया

अंत में साधनसेवी सारे प्रतिभागियों को खड़ा होने का इशारा करें। जब सारे प्रतिभागी गोलाई में खड़े हो जाएँ तो साधनसेवी दल के एक सदस्य सबके बीच में एक थाल में मिट्टी के दीए, तेल एवं बाती सहित रख दें तथा बारी-बारी से सभी प्रतिभागियों को तेल एवं बाती सहित एक-एक दीप लेने का अनुरोध करें। जब सारे प्रतिभागी तथा साधन सेवी दीप ले लें तो एक साधनसेवी निम्न कहानी सुनाएँ :–

बहुत समय पहले की बात है। एक घर बल्ब एवं ट्यूबलाईट की रोशनी से जगमगा रहा था। घर के सभी लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे कि तभी अचानक बिजली चली गई। सारा घर अंधकार से भर उठा। तभी घर की मालकिन को ध्यान आया कि उसने बहुत पहले कहीं एक दीया रखा था। वह टटोलते-टटोलते वहाँ पहुँची। दीए को पोंछकर साफ की तथा उसे जला दी। सारे घर में मद्धिम रोशनी फैल उठी। घर के सारे सदस्य उसके चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। दीए को अपनी इस किस्मत पर काफी खुशी हुई। उसे लगा कि चलो इतनी ही दिन बाद सही, मुझे सम्मान तो मिला। मैं किसी काम तो आ सका। दीया यह सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक बिजली आ गई। लोग दीए को छोड़कर अपने-अपने काम में चले गए। ट्यूबलाईट ने हँसते हुए दीए से पूछा– क्यों दीया भाई, हमारे सामने तुम्हारी क्या जरूरत? दीया भी यह सोचने लगा कि भला इस चकाचौंध रोशनी के सामने उसकी क्या बिसात। यह सोचकर दीया काफी उदास हो गया। फिर उसे एक प्रश्न सूझा। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो ट्यूब लाईट बहन, मैं तुम्हारे सामने तुच्छ हूँ। लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, जो तुम नहीं कर सकती। ट्यूबलाइठ ने विस्मय से पूछा, आखिर कौन काम है जो मैं नहीं कर सकती? दीए ने कहा, मैं एक दीए से दूसरा जला सकता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कुछ समय की शांति के पश्चात् साधनसेवी यह बोले कि क्या हम सभी यह दीया बन सकते हैं?

इसके साथ ही यदि वहाँ कोई बच्चा उपस्थित हो तो उसे थाल में रखे दीए को जलाने के लिए कहें। अन्यथा साधनसेवी स्वयं ही उस दीए को जला दें। फिर 'एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तो' अभियान-गीत गाते हुए सभी प्रतिभागी अपने-अपने दीए की क्रमशः एक दूसरे की सहायता से जला लें। गीत की समाप्ति पर सभी दीयों को बीच में रख दिया जाए तथा

पुनः गोलाई में खड़े होकर 'हम होंगे कामयाब' अभियान-गीत के साथ प्रशिक्षण की समाप्ति से पहले यदि साधनसेवी आवश्यक समझें तो प्रतिभागियों के साथ बैठकर भावनात्मक माहौल में बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण समाप्ति सत्र को अत्यन्त ही रोचक एवं भावनात्मक वातावरण में साधनसेवी समाप्त करें।

9.4 सामग्री

थाल, दीपक, तेल, बाती, माचिस, इत्यादि।

9.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में अपने-अपने उत्तरदायित्त्वों के प्रति भावनात्मक चेतना विकसित होगी।

9.6 सावधानियाँ

- दिया, तेल एवं बाती एवं माचिस पहले से तैयार होनी चाहिए।
- इस सत्र में कमरे की सभी खिड़कियाँ एवं दरवाजे बंद रखें; जिससे कक्ष के अंदर अंधेरा बना रहे।
- यदि पंखा आदि चल रहा हो तो बंद कर दें।
- साधनसेवी पहले यह आपस में सुनिश्चित कर लें कि कौन क्या करेगा, यथा कौन माचिस से दिया जलायगा? कौन कहानी कहेगा? तथा कौन गीत वाला भाग कराएगा?
- दीया के स्थान पर मोमबत्ती का भी प्रयोग साधनसेवी कर सकते हैं।

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9894
Date 27-7-98